अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान
A N Sinha Institute of Social Studies
North West Gandhi Maidan, Patna - 800001

Ref. No. ANS/REG/860/2025
Date 25-09-2025

Dr. Habibullah Ansari
(M.A.; JMI; New Delhi, M. Phil. & Ph.D., JNU, New Delhi)
Associate Professor & Head
Division of Social Psychology
-cum-
Registrar (I/C)

सेवा में,

समाहर्त्ता
(जिला भू–अर्जन पदाधिकारी कार्यालय)
जिला–मधुबनी, बिहार
पिन कोड–847211

विषयः– **परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अध्ययन का अंतिम प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

महाशय,

कृपया कार्यालय पत्रांक संख्या–412 जि०भू०अ०, दिनांक 05/05/2025 के आलोक में इस संस्थान के सहायक प्राध्यापक डॉ0 अवधेश कुमार द्वारा तैयार किये गये परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के अध्ययन का अंतिम प्रतिवेदन महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

सादर,

भवदीय,

24.09.25
कुलसचिव

अनुलग्नकः अंतिम प्रतिवेदन एवं विडियोग्राफी का एक DVD

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

अंतिम प्रतिवेदन

मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण।

(मौजा–लोहना थाना नं० 156, अंचल–झंझारपुर, जिला–मधुबनी)



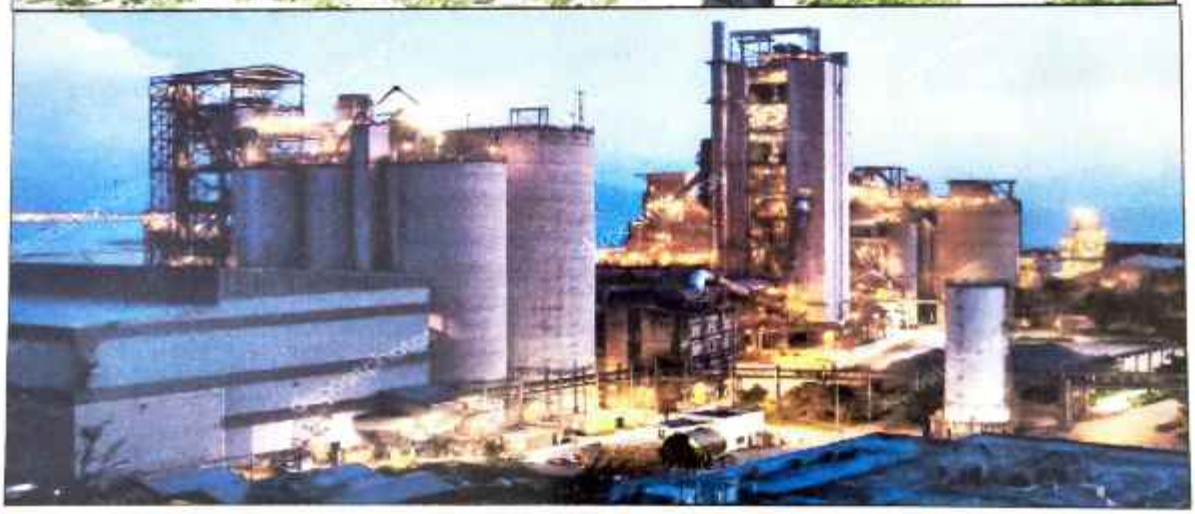

द्वारा

डॉ० अवधेश कुमार

अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना–800001

2025

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन दल

क्र०सं०	नाम	पद
1.	डॉ० अवधेश कुमार	परियोजना निदेशक
2.	डॉ० रणधीर प्रताप सिंह	शोध पदाधिकारी
3.	फुलचन्द्र कुमार	शोध सहायक
4.	रिंकु सिंह	शोध सहायक

अभिस्वीकृति

"पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013 एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार; (BRFCTLARR) नियम 2014" के अन्तर्गत राज्य में आधारभूत संरचना के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के वास्ते अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान को राज्यस्तरीय सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन इकाई के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए हम बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आभारी है। राज्य स्तरीय इकाई के रूप में संस्थान को राज्य में आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित जमीन के मुद्दों एवं विशेष रूप से भूमि अभिलेख तथा साथ ही इस परियोजना से प्रभावित समुदायों के बारे में जानने–समझने का मौका मिला।

हम जिला प्रशासन मधुबनी एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय मधुबनी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने लोकहित में मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु अंचल–झंझारपुर के मौजा–लोहना से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए संस्थान को अवसर दिया। यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि इस आधारभूत संरचना विकास परियोजना कार्य के पूर्ण होने से स्थानीय समुदायों के चिर–प्रतीक्षित रोजगार से जुड़ी समस्या का समाधान संभव होगा। हम जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी एवं उनके कार्यालय कर्मियों को हर संभव सुविधा एवं तकनीकि मदद तथा द्वितीयक आंकड़ों की सुलभता के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे जिसकी मदद से हमारा यह अध्ययन परियोजना कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

हम अंचल–झंझारपुर के मौज़ा–लोहना से प्रभावित समुदाय के लोगों (लाभार्थी सह उत्तरदाता), मुख्य सूचनादाताओं, स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं तमाम स्थानीय नागरिक समुदाय को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारा भरपूर सहयोग किया।

संस्थान निदेशक के उत्साहवर्धन के बिना इस अध्ययन परियोजना को पूरा करना काफी कठिन था। उनके द्वारा उत्साहवर्धन एवं सहयोग के लिए हम उन्हें हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रशासक एवम् कार्यालय कर्मियों द्वारा हमलोगों को इस अध्ययन को पूरा करने में हर प्रकार का सहयोग मिला। इसके लिए हम संस्थान प्रशासन को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे।

अंत में हम अध्ययन दल के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी निष्ठा एवं कठिन परिश्रम से सौंपे गये कार्य को सम्पन्न करने में अपना भरपूर योगदान दिया जिससे अध्ययन परियोजना ससमय पूर्ण हो सका।

डॉ० अवधेश कुमार 22/09/25
अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान
पटना–800001

सारणी की सूची

सारणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
सारणी 2.1	सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन दल के सदस्यों की सूची	5
सारणी 3.1.1	परियोजना प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रत्यक्ष प्रभावित सर्वेक्षित रैयतों की संख्या	15
सारणी: 3.3.1	प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत अधिग्रहणार्थ भूमि	16
सारणी: 3.6.1	प्रस्तावित अधिग्रहणार्थ मौजा से रैयतवार अर्जनार्थ भूमि की विवरणी	16–32
सारणी: 3.8.1	प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों द्वारा कुल धारित भूमि	33
सारणी: 4.8.1	प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों में उपस्कर	38
सारणी: 5.1.1	प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की सामाजिक विवरणी	40
सारणी: 5.1.2	प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की आर्थिक विवरणी	40
सारणी: 5.1.3	प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों की पारिवारिक संरचना	40
सारणी: 5.2.1	परियोजना क्षेत्र का जनांकिकीय विवरण	41
सारणी: 5.3.1	प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय	42
सारणी 5.4.1	परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परिवारों में पाये गए पशुधन एवम् पॉल्ट्री	42
सारणी: 5.5.1	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित रैयतों द्वारा लिये गये ऋण की विवरणी	42–43
सारणी 5.6.3	पीने के पानी का स्रोत	44
सारणी 5.6.4	आवासीय परिसर में शौचालय की सुविधा एवम् उपयोग	44
सारणी 5.6.5	अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के बदले यदि पैसा मिले तो प्राप्त धन राशि का प्राथमिकता आधारित संभावित उपयोग	45
सारणी 5.6.6	अधिगृहीत की जाने वाली भूमि/मकान/संरचना के बदले प्रभावित परिवारों की अपेक्षा	45
सारणी 5.6.7.1	प्रभावित परिवारों के पास घर की स्थिति का विवरण	46
सारणी 5.6.7.2	प्रभावित परिवारों के पेशा का विवरण	46
सारणी 5.6.7.3	प्रभावित परिवारों के शिक्षा स्तर का विवरण	47
सारणी: 6.5.1	परियोजना क्रियान्वयन के आर्थिक प्रभाव	51
सारणी: 6.5.2	परियोजना क्रियान्वयन के स्थानीय यातायात पर प्रभाव	52
सारणी: 6.5.3	परियोजना क्रियान्वयन के सामाजिक प्रभाव	53
सारणी: 6.5.4	परियोजना क्रियान्वयन का स्वास्थ्य पर प्रभाव	54
सारणी: 6.5.5	परियोजना क्रियान्वयन के पर्यावरण पर प्रभाव	54
सारणी: 7.3.1	अधिगृहित की जाने वाली भूमि/मकान/संरचना संबंधित मुख्य चिन्ता	57

रेखा चित्रों की सूची

चित्र संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
चित्र 2.2.3.1	मौजा लोहना के स्थानीय रैयत के साथ साक्षात्कार करते शोध कर्मी साथ में परियोजना निदेशक	7
चित्र 2.2.3.2	मौजा लोहना के स्थानीय रैयत के साथ साक्षात्कार करते शोध पदाधिकारी साथ में राजस्व कर्मचारी	7
चित्र 2.2.3.3	मौजा लोहना के स्थानीय भूस्वामी के साथ शोध पदाधिकारी द्वारा साक्षात्कार	8
चित्र 2.2.3.4	मौजा लोहना के रैयतों से साक्षात्कार करते हुए शोध पदाधिकारी	8
चित्र 2.2.3.5	मौजा लोहना के रैयत से साक्षात्कार करते हुए अध्ययन दल	9
चित्र 2.2.3.6	मौजा लोहना के रैयतों का साक्षात्कार करते हुए अध्ययन दल	9
चित्र 2.6.1	मौजा लोहना में स्थानीय ग्रामीणों के साथ अध्ययन दल द्वारा सामूहिक परिचर्चा साथ में परियोजना निदेशक	11
चित्र 2.6.2	मौजा लोहना में स्थानीय ग्रामीणों के साथ अध्ययन दल द्वारा सामूहिक परिचर्चा	12
चित्र 2.6.3	मौजा लोहना में स्थानीय ग्रामीणों के साथ अध्ययन दल द्वारा सामूहिक परिचर्चा	12
चित्र 3.1.1	प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र मौज़ा लोहना का नक्शा	14
चित्र 3.1.2	प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जनाधीन प्रभावित क्षेत्र	15
चित्र 4.1.1	मौजा लोहना स्थित परियोजना स्थल एवं प्रभावित होने वाले कृषि भूमि	34
चित्र 4.1.2	मौजा लोहना स्थित परियोजना स्थल एवं प्रभावित होने वाले ग्रामीण सड़क	35
चित्र 4.1.3	मौजा लोहना स्थित परियोजना क्षेत्र में शोधकर्मी के साथ राजस्व कर्मचारी	35
चित्र 4.1.4	मौजा लोहना स्थित परियोजना क्षेत्र में परियोजना निदेशक एवं शोध पदाधिकारी	36
चित्र 4.1.5	मौजा लोहना स्थित परियोजना क्षेत्र में परियोजना निदेशक	36
चित्र 8.1.1	जन–सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित परियोजना निदेशक, पदाधिकारीगण एवं शोधकर्मी	61
चित्र 8.1.2	जन–सुनवाई कार्यक्रम में परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक	62
चित्र 8.1.3	जन–सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रैयतगण	62

प्रकरण

क्रम संख्या	*विवरण*	*पृष्ठ संख्या*
	कार्यकारी सारांश	*(i-vii)*
अध्याय–1:	परियोजना का विस्तृत विवरण	1–4
अध्याय–2:	अध्ययन पद्धति	5–12
अध्याय–3:	अधिग्रहण के अन्तर्गत भूमि	13–33
अध्याय–4:	प्रभावित परिवारों की परिसम्पत्तियों का आंकलन एवं गणना	34–38
अध्याय–5:	प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप	39–48
अध्याय–6:	सामाजिक प्रभाव आंकलन	49–54
अध्याय–7:	अधिग्रहण की लागत एवं परियोजना कियान्वयन के लाभ	55–60
अध्याय–8:	लोक–सुनवाई एवम् निष्कर्ष	61–71

अनुलग्नक

केन्द्रीकृत सामूहिक परिचर्चा की उपस्थिति पंजी की छायाप्रति

जन–सुनवाई कार्यक्रम की उपस्थिति पंजी की छायाप्रति

कार्यकारी–सारांश

परियोजना

बिहार का औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कम विकसित रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रसास किए हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष औद्योगिक नीतियाँ एवं योजनाएँ भी बनाई है। यह परियोजना न केवल मधुबनी बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का उद्येश्य जिले में रोजगार के अवसरों तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

प्रस्तावित परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु है। यह परियोजना जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। मधुबनी जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्येश्य से इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 252.23 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव है। आने वाले समय में यह परियोजना मधुबनी जिले के लिए आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस औद्योगिक क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद मधुबनी जिले में कई लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उन्हे रोजगार के लिए दुसरे राज्य पलायन नहीं करना पड़ेगा।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन

प्रस्तुत अध्ययन मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने वाले प्रभावों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। भारत सरकार के **"भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013"[भारत सरकार गजट भाग 2, उपभाग–1, सितम्बर 27, 2013] एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014"** स्पष्ट उल्लेखित करता है कि जब कभी कोई उचित सरकार लोकहित के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण का इरादा करती है तो उस दशा में परियोजना से प्रभावित होने वाले गाँव, वार्ड, नगरपालिका एवं नगर परिषद के साथ मिलकर एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करायेगी। यह अधिनियम आगे बताता है कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन इन मामलों के अतिरिक्त निम्न बातों को भी समाहित करता है जैसे–(क) मूल्यांकन करना कि क्या प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण लोकहित को

पूरा करता है, (ख) प्रभावित परिवारों एवं उसमें से विस्थापित परिवारों की गणना करना, (ग) भूमि का विस्तार, सरकारी एवं निजी भूमि, घर निपटान एवं अन्य सार्वजनिक संपत्ति की गणना करना जिसका अधिग्रहण प्रस्तावित है, (घ) क्या प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि हैं, (ड) यह भी उल्लेखित करना कि इस अधिग्रहण का कोई और बेहतर विकल्प होता। परियोजना का सामाजिक प्रभाव, स्वभाव, कीमत के साथ–साथ यह भी दर्शाना कि परियोजना से होने वाले सामाजिक/सामुदायिक फायदे परियोजना की सामाजिक/सामुदायिक लागत की तुलना में अधिक/कम है।

भूमि एवं राजस्व विभाग बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने हेतु अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना को राज्य अध्ययन इकाई के रूप में नामित किया गया है।

परियोजना स्थल

प्रस्तावित परियोजना स्थल मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु है जो झंझारपुर अंचल से लगभग 12 कि०मी० की दुरी पर पटना–पूर्णिया मुख्य मार्ग के किनारे स्थित है।

भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रकार

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का कुल रकबा मात्र 252.23 एकड़ है जिसमें कुल रैयती भूमि 242.91 एकड़ तथा अनावाद सर्वसाधारण एवं अनाबाद बिहार सरकार की भूमि 9.32 एकड़ है। यह मधुबनी जिले के झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना से संबन्धित है। अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि सामान्यतः दो फसली है।

प्रस्तावित अर्जनार्थ भूमि पर रबी एवं खरिफ फसल की खेती की जाती है ऐसा रैयतों तथा ग्रामीणों के द्वारा भी प्रतिवेदित हुआ है। वर्तमान उपयोग के आधार पर आम तौर पर प्रस्तावित अधिग्रहनार्थ भूमि सिचिंत एवम् उपजाऊ कृषि भूमि है जो अच्छी कृषि उत्पादकता के लिए भी जानी जाती है। भूमि धनहर श्रेणी की है। अर्जनाधीन रैयती कृषि भूमि में मुख्य रूप से रबी फसल का उत्पादन होता है। अधिग्रहनार्थ भूमि में आम का बगीचा भी प्रतिवेदित हुआ है।

वैकल्पिक अवधारणा पर विचार

अधियाची निकाय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र, झंझारपुर अंचल, मौजा लोहना अंतर्गत आता है जो ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 57 को जोड़ता है। इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना सम्बंधित विकास की प्रबल सम्भावना है। अधिग्रहण हेतु आवश्यक भूमि के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त माना जा सकता है। अतः यह माना जा सकता है कि प्रस्तावित परियोजना औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु सभी संभावनाओं को देखते हुए इससे

बेहतर दूसरा विकल्प भूमि अधिग्रहण हेतु मौजूद नही है। जिसका स्थानीय जिला, अंचल प्रशासन एवं कुछ स्थानीय लोगों ने भी इसका समर्थन किया है।

सामाजिक प्रभाव

वर्तमान परियोजना का क्रियान्वयन यहाँ के स्थानीय समुदाय को बड़े पैमाने पर लाभ पहुँचायेगा। हालांकि सर्वेक्षण के दौरान कई लोगों द्वारा इस भूमि अधिग्रहण को लेकर अपना विरोध भी दर्ज कराया गया है क्योंकि परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के पश्चात कुछ रैयत भूमिहीन हो जाएंगे। रैयतों द्वारा बताया गया कि सरकारी मूल्य बाजार मूल्य से काफी कम रहता है जिससे उचित मुआवजा नहीं मिलता है। इन्हीं लोगों में से कुछ के द्वारा मुआवजा के अतिरिक्त स्थाई रोजगार के शर्त पर ही अपने भू–खंड को देने की बात कही है।

वर्त्तमान योजना क्रियान्वयन के पूरा हो जाने पर समुदाय के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिल सकेगें। इस परियोजना का मूर्त एवं अमूर्त दोनों ही प्रकार के लाभ हैं। इस परियोजना के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के आपार संभावनाएँ प्रतीत हो रहे हैं। साथ ही इनके जीवन स्तर में भी गुणात्मक सुधार की संभावना है। परियोजना क्रियान्वयन से विनिर्माण संबन्धित कार्यों को बल मिलेगा। इसके साथ–साथ सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार होने की संभावना है।

प्रस्तावित भू–अर्जन का क्षेत्र की कुल माप 252.23 एकड़ है, जो ग्राम लोहना के भू–धारियों में वितरित है, जिसका भू–अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन के पूरा हो जाने पर समुदाय के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन देखने को मिल सकेगें। वर्त्तमान में उपजाऊ कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग में चले जाने से एक ओर जहां स्थायी रूप से कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता में कमी आयेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से आय एवं रोजगार के बेहतर व्यवस्था होने की संभावना है। प्रस्तावित भू–अर्जन हेतु कुल 242.91 एकड रैयती भूमि प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों की है। इस भू–अर्जन से प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों पर सार्थक ऋणात्मक सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है ऐसा सर्वेक्षण के कम में रैयतों के द्वारा प्रतिवेदित हुआ है।

प्रस्तावित भू–अर्जन के नकारात्मक प्रभावों को, यदि कोई हो, कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय

जिला भू–अर्जन कार्यालय मधुबनी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रभावित रैयतों की सूची में खतियानी रैयत का नाम दिया हुआ है जिससे वर्तमान रैयतों तक पहुँचने में परेशानी हो रही थी। अध्ययन दल के क्षेत्र भ्रमण में पाये गए तथ्यों के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहणार्थ रैयती भूमि कृषि एवं आम बगीचा कार्य के लिए उपयोग में पायी गयी है। भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत प्रत्यक्ष प्रभावितों (किसान) पर इस अधिग्रहण का नकारात्मक प्रभाव उनकी भू–धारण क्षमता,

कृषि तथा आम बगीचा भूमि से आमदनी के रूप में पड़ेगा। प्रस्तावित भू–अर्जन के नकारात्मक प्रभावों की क्षतिपूर्ति नियमानुसार प्रतिकर भुगतान द्वारा हो सकती है, ऐसा माना जा सकता है।

सामाजिक लागत और लाभ का आंकलन

प्रत्यक्ष एवं मात्रात्मक रूप से परियोजना के सामाजिक लागत और लाभ का आंकलन करना मुश्किल है। अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की कोशिश की गई है। प्रस्तावित भू–अर्जन की भूमि के विरूद्ध राशि भुगतान की गणना प्रत्यक्ष रूप से संभव है और की गयी है।

इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि का कुल रकवा 252.23 एकड़ है जो प्रस्तावित परियोजना हेतु लोहना मौजा के सर्वेक्षित 139 रैयतों से संबंधित है, जिसको अधिगृहित कर स्थायी तौर पर उपयोग में लेने का प्रस्ताव है। कृषि कार्यों एवं उससे जुड़े अन्य गतिविधियों के लिए उस भूमि से संबंधित रैयतों की यह प्रत्यक्ष एवम् स्थायी क्षति होगी।

परियोजना की सामाजिक लागत

प्रस्तावित भू–अर्जन हेतु कुल 252.23 एकड़ भूमि है जिसमें से करीब 242.91 एकड़ रैयती भूमि है। अर्जनाधीन भूमि से वार्षिक कृषि उत्पादन के नुकसान एवं जमीन के मूल्य को प्रत्यक्ष लागत के रूप में लिया गया है और बाजार मूल्य पर इसकी गणना की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष मापन योग्य कोई सामाजिक लागत नही है जिसकी सीधी गणितीय गणना की जा सके।

अधिग्रहीत होने वाली भूमि का कुछ भाग मुख्य सड़क के किनारे होने के कारण आवासीय तथा व्यवसायिक बताया गया है जिसका मूल्य प्रति कठा 15 लाख रूपया एवं अधिकांश अधिगृहित होने वाली भूमि कृषि सिंचित है जिसका मूल्य प्रति कठा 2 लाख रूपया रैयतों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अधिग्रहीत होने वाली कुछ भूमि पर पेंड–पौधा भी प्रतिवेदित हुआ है जिसका विभागीय भौतिक सत्यापन के पश्चात उचित मुआवजा दिया जा सकता है। सिंचित कृषि भूमि का उत्पादकता मूल्य प्रति एकड़ 50–60 हजार रूपया रैयतों के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

परियोजना का सामाजिक लाभ

परियोजना के निरंतर एवं कुल सामाजिक लाभ के वास्तविक मूल्य को आँकना काफी कठिन कार्य है, और परियोजना क्रियान्वयन के पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। ***"भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013" एवं "बिहार भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014"*** के अनुसार पुनर्वासन

एवं पुनर्व्यवस्थापन के मापदंडो के आधार पर परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जाना है, जिसमें मुख्य रूप से रैयतों को उचित प्रतिकर का समय से भुगतान शामिल है।

प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना

प्रभाव के प्रकार	प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना
उपजाऊ कृषि भूमि का नुकसान	सभी रैयतों की मुख्य चिंता भूमि की दर को लेकर है, साथ ही भूमि के मूल्य को अद्यतन करते हुए बाजार भाव पर प्रतिकर की भुगतान करने की माँग की गयी है। अनुसंधान दल का सुझाव है भूमि मालिकों को भूमि अर्जन, "पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) अधिनियम 2013 एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियमावली, 2014" के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जाए।
भूमि के प्रकार का उचित वर्गीकरण	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के उचित वर्गीकरण का मुद्दा क्षेत्र भ्रमण एवं डेटा संग्रहण के दौरान उभर कर सामने आया है। प्रतिकर के संवितरण से पहले प्रतिकर की कुशल गणना एवं भूमि का उचित वर्गीकरण की जाए।
आय की हानि	प्रतिकर के अलावा भूमि मालिकों को कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाले आय के संभावित नुकसान के लिए भू–अर्जन विभाग को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान करना चाहिए।
घर, पेड़ तथा सिचाई सरंचना का नुकसान	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची (परिशिष्ट–1) एवं अनुसंधान दल के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान निम्नलिखित भूमि का अर्जन किया जाना है । मौजा–लोहना अंतर्गत पेंड़ तथा बोरिंग/पंपसेट के अधिगृहित होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। ***(नोट–भू–अर्जन पदाधिकारी स्वयं अपने स्तर से देखकर निर्णय लेना चाहेगें)***
अत्यधिक कमजोर समूह (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे, महिलाएँ, गंभीर रूप से बीमार एवं दिव्यांग)	प्रस्तावित परियोजना से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों में ज्यादातर भूमि के मालिक है अतः भूमि अर्जन, "पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013 एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियमावली 2014" के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन हो। परियोजना से होने वाली प्रत्यक्ष हानि के लिए मौद्रिक भुगतान के अलावा, अत्यधिक संवेदनशील समूह के लिए विशेष सहायता/सहायता प्रदान की जानी चाहिए जैसे कि प्रभावित परिवार के कम–से–कम एक सदस्य को श्रम कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के मुकाबले या अधिक दर से रोजगार देने के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अन्य उपाय निम्नलिखित है–

प्रभाव के प्रकार	प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना
	• समूहों के लिए अन्य व्यवसाय के अवसरों की खोज होनी चाहिए • ऋण सुविधाओं का विस्तार • समर्पित शिविरों के माध्यम से प्रतिकर का भुगतान सर्वेक्षित रैयतों में कुछ दिव्यांगता तथा गंभीर रोग से ग्रसित परिवार प्रतिवेदित हुए हैं। सर्वेक्षण के दौरान कुछ प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों ने भूमिहीन होने की संभावना प्रकट की थी। इसका सत्यापन भू–अर्जन कार्यालय अपने स्तर से करने के पश्चात RAFCTLARR 2013 व BRFCTLARR 2014 के अध्याय 6 के तहत उचित प्रतिकर के साथ–साथ मिलने वाली अन्य सहायता भी मुहैया कराए।
जल संरक्षण	लखनदेई नदी के रूप में नैसर्गिक जल स्रोतों का बहाव तथा तालाब संचयन के रूप में देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में इन स्रोतों का संरक्षण अति आवश्यक है। ग्रामीणों के अनुसार परंपरागत रूप से इसके उपयोग को भी संरक्षित करना आवश्यक है। अतः इस नैसर्गिक जल स्रोतों का संचयन व उपयोग ग्रामीणों के लिए यथावत रहे।
सार्वजनिक चारागाह	इस क्षेत्र के लगभग सभी कृषक पशुपालन से जुड़े हैं। इन पशुओं का आहार मुख्य रूप से चारागाह पर ही निर्भर है। ग्रामीणों ने इसके अधिग्रहण की संभावना व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में पशुओं के चारा की समस्या होगी। अतः पशुओं के लिए चारागाह की भी व्यवस्था की जाए।
सार्वजनिक स्वास्थ्य	इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव है। ग्रामीणों की मांग है कि इनके क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा बहाल किया जा सकता है।
आवागमन संबंधित आशंका	ग्रामीणों द्वारा एक आशंका व्यक्त की गयी है कि औद्योगिक केन्द्र स्थापना द्वारा अधिगृहित क्षेत्र को चारदिवारी कर दी जाएगी। जबकि अधिग्रहीत होने वाले क्षेत्रों में कई ग्रामीण सड़क भी है, जिससे इनके आवागमन में कठिनाई उत्पन्न होगी।
स्थानीय शिविर द्वारा कागजी करों का निष्पादन।	ग्रामीणों की यह मांग है कि अधिग्रहण सम्बंधित कागजी कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर एक शिविर लगाकर कार्यों का निष्पादन किया जाए।
सामाजिक प्रभाव प्रबन्धन योजना और शिकायत निवारण की निगरानी	कुछ स्वयं सेवी संस्था और बाहरी निगरानी इकाईयों को सहायता करने के लिए संलग्न होना चाहिए। प्रभावित परिवारों से परियोजना से संबन्धित चिंताओ, शिकायतों और सुझावों को प्राप्त करने और उनका निष्पादन करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।



प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में प्रभावित रैयतों के साथ शोध कर्मिगण एवं राजस्व कर्मचारी।

निष्कर्ष

प्रस्तावित मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक रैयती भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधिग्रहण के अन्तर्गत जाने वाली भूमि कृषि उपयोग में रही है। इस भूमि से प्राथमिक रूप से जुड़े लोगों में स्थानीय किसान हैं। कुछ प्रभावित रैयतों ने इस परियोजना के संरेखन पर आपति भी की है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रभावित परिवार नहीं पाया गया है जो विस्थापित हो रहा है। इस परियोजना क्रियान्वयन में कुछ रैयतों को छोड़कर स्थानीय समुदाय एवं बाकी अन्य प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों की सहमति है। बशर्ते रैयतों के अनुसार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोजगार एवं मुआवजा का भुगतान बाजार दर से किया जाए।

अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013"** एवं **"बिहार भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014"** के अन्तर्गत रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक रैयती भूमि का अधिग्रहण कर व्यापक लोकहित में परियोजना क्रियान्वयन को पूर्ण किया जा सकता है।

अध्याय–1
परियोजना का विस्तृत विवरण

1.1 परियोजना परिचय

बिहार का औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कम विकसित रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रसास किए हैं। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष औद्योगिक नीतियाँ एवं योजनाएँ भी बनाई है। यह परियोजना न केवल मधुबनी बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का उद्देश्य जिले में रोजगार के अवसरों तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।

प्रस्तावित परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु है। यह परियोजना जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। मधुबनी जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 252.23 एकड़ भूमि अधिग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव है। आने वाले समय में यह परियोजना मधुबनी जिले के लिए आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस औद्योगिक क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद मधुबनी जिले में कई लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और उन्हे रोजगार के लिए दुसरे राज्य पलायन नहीं करना पड़ेगा।

प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन एवं आवश्यक रैयती भूमि अधिग्रहण से झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना से कुल सर्वेक्षित 139 रैयती परिवार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी भूमि का अधिग्रहण **"भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013"** एवं **"बिहार भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014"** के अनुसार किया जाना है जिसके लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस.आई.ए.) अध्ययन की अनिवार्यता हुई है।

1.2 परियोजना का लोक प्रयोजन–सह–उपयुक्तता

प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन से स्थानीय समुदाय तथा अन्य क्षेत्र के लोगों के आय तथा रोजगार में बढ़ोत्तरी हो सकेगी जो पूर्णरूपेन लोकहित में है जिससे स्थानीय समुदाय के रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति में सुगमता तो आएगी ही और सुलभता भी। परियोजना निर्माण से बाजार की सुविधा हो सकेगी।

प्रस्तावित परियोजना निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण "**पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं तद्नुसार बिहार भूमि अर्जन,**

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014" के अन्तर्गत किया जाना है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के धारा 4 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के पहले प्रक्रियागत एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जाना आवश्यक है। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का एक उद्देश्य यह भी देखना है कि योजना तय करने में प्रभावित समुदाय के हित को किस हद तक रखा गया है।

1.3 विकल्पों का परीक्षण

अधियाची निकाय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र, झंझारपुर अंचल, मौजा लोहना अंतर्गत आता है जो ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग 57 को जोड़ता है। इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना सम्बंधित विकास की प्रबल सम्भावना है। अधिग्रहण हेतु आवश्यक भूमि के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त माना जा सकता है। अतः यह माना जा सकता है कि प्रस्तावित परियोजना औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु सभी संभावनाओं को देखते हुए इससे बेहतर दूसरा विकल्प भूमि अधिग्रहण हेतु मौजूद नही है। जिसका स्थानीय जिला, अंचल प्रशासन एवं कुछ स्थानीय लोगों ने भी इसका समर्थन किया है।

1.4 लागू कानून एवं नीतियाँ

लोकहित में किसी भी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना आवश्यक है। भारत सरकार के भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (भारत सरकार के गजट भाग 2, उपभाग–1, सितम्बर 27, 2013) यह साफ–साफ उल्लेखित करता है कि जब कभी भी कोई उचित सरकार लोकहित के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण का इरादा करती है तो उस दशा में वह परियोजना से प्रभावित होने वाले गांव, वार्ड, नगरपालिका एवं नगर परिषद् के साथ मिलकर प्रावधानित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराएगी। यह अधिनियम आगे बताता है कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन इन मामलों के अतिरिक्त निम्न बातों को भी समाहित करता है जैसे– (अ) इस बात का आंकलन करना कि क्या यह प्रस्तावित अधिग्रहण लोकहित को पूरा करता है (ब) प्रभावित परिवारों एवं उसमें से विस्थापित परिवारों की गणना करना (स) भूमि का विस्तार, सरकारी एवं निजी भूमि, घर, निपटान एवं अन्य सार्वजनिक संपत्ति की गणना करना जिसका अधिग्रहण प्रस्तावित है (ह) यह भी उल्लेखित करना कि इस अधिग्रहण का बेहतर विकल्प संभव हो सके अथवा नहीं। परियोजना के सामाजिक प्रभाव, स्वभाव, कीमत के साथ–साथ यह भी दर्शाना कि परियोजना से होने वाले फायदे परियोजना की कुल लागत की तुलना में अधिक हैं। इसके साथ–साथ एक पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन भी चलाना जो इस अध्ययन के पूर्ण होने के बाद भी चलता रह सकता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन को शामिल करने वाली परियोजना के मामले में भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक अधिनियम के अनुसार, एक विकास योजना तैयार की जानी चाहिए, जिसे निर्धारित किया जा सके, भूमि अधिग्रहण के साथ एक विशेष प्रावधान के अनुसार भूमि अधिकारों को सुलझाने के लिए विकासात्मक प्रक्रिया के योजना को निर्धारित कर अलग–अलग भूमि पर आदिवासियों के भूमि अधिकार को सुलझाना और बहाल करना।
2. विकासात्मक योजना में ईंधन, चारा तथा बिना लकड़ी वाले जंगलीय संसाधनों के लिए एक विकल्प बनाना होगा जो अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लिए पाँच वर्षों के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण कोई अनुसूचित जनजाति परिवार प्रभावित नहीं है।
3. उचित स्तर की ग्रामसभा या ग्राम पंचायत (संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार) तथा ग्राम परिषद (संविधान की छठवीं अनुसूची के अनुसार) के अनुसूचित क्षेत्र में यदि भूमि अधिग्रहण होता है तो उसे अधिकार होगा कि वह अधिग्रहण के सभी मामलों में हस्तक्षेप करे तथा यदि आपातकालीन स्थिति में अधिग्रहण होता है, तो उसे इसके पहले एक अधिसूचना जारी करना होगा जो केन्द्र या राज्य सरकार के अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार योजना नियम (PESA), 1996 (1996 का 40) तथा अन्य नियमों के अनुसार होगा।
4. यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का भूमि अधिग्रहण हो रहा है, तो इसके पहले उसे प्रतिकर का एक तिहाई अग्रिम (Advance) धनराशि के रूप में उनके परिवार को देना होगा तथा शेष राशि उस जमीन पर अधिकार लेने के साथ देना होगा।
5. अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता के तौर पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ही बसाया जाना चाहिए ताकि उनकी जातीय भाषा एंव सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण कोई अनुसूचित जनजाति परिवार प्रभावित नहीं है, जिससे उनके लिए कोई पुनर्व्यवस्थापन का मामला नहीं है।
6. यदि पुनर्व्यस्थापन क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग पहले से ही रह रहे हैं, तो उन्हें उतनी ही जमीन दी जाएगी, जितना कि सरकार के नियम में है, जहाँ समुदाय एवं सामाजिक जुटाव के लिए मुफ्त में जमीन देने का प्रावधान है।
7. यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को भूमि अधिग्रहण के बाद जिले के बाहर बसाया जा रहा है तो पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नियम के अनुसार उन्हें 25 प्रतिशत अधिक प्रतिकर का लाभ दिया जाएगा।

8. यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि का हस्तांतरण उनके विशेष नियमों की उपेक्षा करके हुआ है, तो ऐसे हस्तांतरण को रद्द माना जाएगा तथा यदि ऐसी जमीन का अधिग्रहण होता है तो पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का लाभ उनके मूल जनजातियों या भू–मालिकों को दिया जाएगा।
9. प्रभावित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति दूसरे जंगली लोग एवं अनुसूचित जाति के लोग जिन्हें नदी तालाब या बांध में मछली मारने का अधिकार होता है, उन्हें अधिग्रहण के बाद सिंचाई क्षेत्र के तालाब एवं जल योजनाओं में भी मछली मारने का अधिकार होगा।
10. यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग (जिनकी जमीन जा रही है) जिले से बाहर रह रहे हैं तो उन्हें पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन का 25 प्रतिशत अधिक लाभ मिलेगा जिसकी राशि **15000/–** (पंद्रह हजार) रुपये है, जो एक मुश्त देय होगी।

अध्याय–2

अध्ययन पद्धति

2.1 अध्ययन दल

प्रस्तावित परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण द्वारा प्रभावित परिवार का अध्ययन करने के लिए संस्थान द्वारा शोध कर्मियों के एक समर्पित अध्ययन दल का गठन किया गया। आँकड़ा संग्रहण के लिए अध्ययन दल के शोध कर्मियों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया। शोध कर्मियों के लिए संवेदीकरण एवं क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। प्रशिक्षण में आधारभूत सूचनाओं एवं "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013" एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014" पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। आँकड़ा विश्लेषण एवम् प्रस्तुतिकरण का प्रारूप विकसित कर अध्ययन पूरा किया गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन दल का नेतृत्व संस्थान के वरीय संकाय सदस्य सह परियोजना निदेशक डॉ० अवधेश कुमार द्वारा किया गया। समर्पित शोध कर्मी जो इस अध्ययन से जुड़े थे उनकी सूची सारणी: 2.1 में दी गयी है।

सारणी: 2.1 सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन दल के सदस्यों की सूची:

क्रमांक	नाम	पद
1.	डॉ० अवधेश कुमार	परियोजना निदेशक
2.	डॉ० रणधीर प्रताप सिंह	शोध पदाधिकारी
3.	फुलचन्द्र कुमार	शोध सहायक
4.	रिंकु सिंह	शोध सहायक

2.2.1 कार्यपद्धति

इस सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए जो कार्यपद्धति अपनायी गयी वह इस प्रकार है। सहायक द्वितीयक आँकड़े जैसे संदर्भित कागजात, रिपोर्ट, आदि राज्य एवम् जिला स्तर के कार्यालयों, विश्वसनीय वेब प्रकाशन, आदि से प्राप्त किये गए तथा प्राथमिक आँकड़े साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन तथा सामूहिक परिचर्चा एफ०जी०डी० से प्राप्त किये गये। जिला भू–अर्जन कार्यालय से उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित होने वाले रैयत परिवार के घर जाकर संपर्क बनाया गया और पूर्व विकसित साक्षात्कार अनुसूची की मदद से साक्षात्कार कर परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक, आदि स्थिति से संबंधित प्राथमिक आँकड़े संग्रहित किये गये। संग्रहित आँकड़ों को उपयुक्त साधन एवं सांख्यिकीय तकनीक के द्वारा विश्लेषित कर प्रतिवेदित किया गया है।

2.2.2 अभिप्राय एवं उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य उन प्रभावित मौजा के एवम् समुदायों में सामजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना रहा है जो मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मोजा लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन के कारण प्रभावित हो रहे हैं। "भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (RFCTLARR) 2013" एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम (BRFCTLARR) 2014" के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया जाना है।

अध्ययन परियोजना के उद्देश्य निम्नवत हैं:

1. प्रस्तावित मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मोजा लोहना में औद्योगिक केन्द्र निर्माण कार्य से पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों की पहचान करना।
2. प्रस्तावित मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मोजा लोहना में औद्योगिक केन्द्र निर्माण कार्य के सामाजिक प्रभावों का दिशा सहित मापन करना।
3. परियोजना क्रियान्वयन के कारण प्रभावित परिवारों के लिए एक उपयुक्त पुनर्व्यवस्थापन योजना बनाना, यदि कोई हो।

2.2.3 साधन एवं तकनीक

प्राथमिक आंकड़ा संग्रहण के लिए पाँच खण्डों की एक 27 बिंदु वाली साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। खण्ड 1 से 4 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों से सम्बन्धित है तथा खण्ड 5 अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों से सम्बन्धित है। यह साक्षात्कार अनुसूची बिहार भू–अर्जन, अधिनियम 2013 एवं नियम 2014 में दिये गये निर्देशों पर आधारित थी। जिला भू–अर्जन कार्यालय मधुबनी द्वारा उपलब्ध कराये गये हितधारियों की सूची के अनुरूप हितधारक प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष लाभार्थियों से साक्षात्कार के द्वारा प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण किया गया। द्वितीयक आंकड़े संबंधित कार्यालयों से लिए गये।

मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मोजा लोहना में औद्योगिक केन्द्र निर्माण परियोजना से प्रत्यक्ष प्रभावित हितधारितयों के साथ अध्ययन दल द्वारा साक्षात्कार



चित्र 2.2.3.1 मौजा लोहना के स्थानीय रैयत के साथ साक्षात्कार करते शोध कर्मी साथ में परियोजना निदेशक।



चित्र 2.2.3.2 मौजा लोहना के स्थानीय रैयत के साथ साक्षात्कार करते शोध पदाधिकारी साथ में राजस्व कर्मचारी।



चित्र 2.2.3.3 मौजा लोहना के स्थानीय भूस्वामी के साथ शोध पदाधिकारी द्वारा साक्षात्कार।



चित्र 2.2.3.4 मौजा लोहना के रैयतों से साक्षात्कार करते हुए शोध पदाधिकारी।



चित्र 2.2.3.5 मौजा लोहना के रैयत से साक्षात्कार करते हुए अध्ययन दल।



चित्र 2.2.3.6 मौजा लोहना के रैयतों का साक्षात्कार करते हुए अध्ययन दल।

2.2.4 केन्द्रीकृत सामूहिक परिचर्चा

केन्द्रीकृत सामूहिक परिचर्चा के लिए एक चेक लिस्ट तैयार किया गया। प्रभावित गाँव में परिवारों का सर्वेक्षण करने के दौरान केन्द्रीकृत सामूहिक परिचर्चा की घोषणा पूर्व में ही कर दी गयी थी। विस्तृत सामूहिक परिचर्चा में स्थानीय रैयत सहित जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। ऐसी परिचर्चाओं को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन दल द्वारा अभिलेखित किया गया।

इस परिचर्चा में स्थानीय लाभार्थी समुदाय सह ग्रामीण सम्मिलित हुए। हमारी बातों को सुनने के बाद तर्कपूर्ण तरीके से चर्चा में भाग लेने लगे। इस साक्षात्कार एवं समुदायिक परिचर्चा के अतिरिक्त शोधकर्मियों के द्वारा ग्रामीणों का वैयक्तिक अवलोकन भी किया गया जिससे उनके संस्कृति, सामाजिक स्थिति, चलन एवं आजीविका का पता चल सके। स्थानीय समुदाय के सभी अंदेशाओं व उनके सुझावों एवं विचारों को उन्हीं के द्वारा प्रतिवेदित धनात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ में लिया गया।

2.3 नमूना, प्राचल एवं लक्षित समुदाय

जिला भू–अर्जन कार्यालय मधुबनी द्वारा अध्ययन दल के सदस्यों को जो भूमि से संबंधित सूची उपलब्ध करायी गयी थी उसके अनुसार इस अधिग्रहण के द्वारा प्रभावित होने वाले मौजा लोहना के अन्तर्गत सर्वेक्षित 139 प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार है। इनको सारणी 3.8.1 में देखा जा सकता है।

2.4 सूचनाओं/आंकड़ों के स्रोतों का अवलोकन

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राथमिक के साथ–साथ द्वितीयक स्रोतों से भी इकट्ठा किया गया। सहायक द्वितीयक आंकड़े जैसे कागजात, रिर्पोट, सूचनाएं आदि राज्य, जिले, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर के कार्यालयों एवम् संबंधित वेबसाइट से प्राप्त किये गए तथा प्राथमिक आंकड़ों को साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन तथा सामूहिक परिचर्चा से प्राप्त किया गया। हर प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार के घर जाकर अध्ययन दल द्वारा संपर्क बनाया गया, जिससे स्थानीय प्रभावित परिवारों पर आधारित सामाजिक–आर्थिक विवरणी बनायी गयी।

2.5 भू–धारकों के साथ परामर्श

प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु समाहरणालय मधुबनी द्वारा प्राप्त सूचीबद्ध कुल भूमि की परिमाप 252.23 एकड़ में से 242.91 एकड़ रैयती भूमि है तथा 9.32 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास बिहार सरकार की भूमि है। केन्द्रीकृत सामूहिक परिचर्चा के दौरान स्थानीय समुदाय ने यह बताया कि इस जमीन से कोई भी बटाईदार प्राथमिक जीविका के आधार पर जुड़ा हुआ नहीं है। प्रत्यक्ष प्रभावित कुल सर्वेक्षित रैयत 139 परिवार के स्थानीय आवासीय पते पर जाकर अध्ययन दल के सदस्यों द्वारा साक्षात्कार कर पारिवारिक आंकड़े संग्रहित किये गये। परामर्श

में भू–धारकों द्वारा प्रमुखता से पुराने संरेखन पर परियोजना निर्माण करना तथा मुआवजा भुगतान में दो प्रकार की आशंकाएं उजागर हुईः– एक मुआवजा का कम होना एवं दूसरा भुगतान में अनावश्यक विलंब होना। परियोजना क्रियान्वयन के पक्षधर अधिकांश लोग पाये गये। आंशिक रूप से प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित आवासीय रैयतों द्वारा आंशिक असहमति भी पायी गयी।

2.6 केन्द्रीकृत सामूहिक परिचर्चा में प्रतिभागियों की सूची

केन्द्रीकृत सामूहिक परिचर्चा तीन चरणों में दिनांक **12.07.2025, 14.07.2025 एवं 16.07.2025** को परियोजना प्रभावित समुदायों के साथ की गयी। सामूहिक परिचर्चा में बहुत सारे प्रतिभागी शामिल हुए जो विभिन्न सामाजिक समूहों से थे जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि भी शामिल थे और महिलाएँ भी शामिल थीं। केन्द्रीकृत तथ्यात्मक सामूहिक परिचर्चा को परियोजना निदेशक एवं शोध कर्मियों के द्वारा संचालित किया गया। ग्रामीणों की तरफ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए तथा उन सभी प्रश्नों का सूक्ष्मता से जवाब दिया गया। इस परिचर्चा के द्वारा परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त कई लाभों का जिक्र हुआ लेकिन उपस्थित अधिकतर रैयतों ने अपने रैयती भूमि देने में असर्मथता जतायी है तथा आम सहमति से लोगों ने संरेखन में परिवर्तन कर परियोजना निर्माण में अपनी रूचिपूर्ण सहमति जतायी है।



चित्र 2.6.1 मौजा लोहना में स्थानीय ग्रामीणों के साथ अध्ययन दल द्वारा सामूहिक परिचर्चा साथ में परियोजना निदेशक।



चित्र 2.6.2 मौजा लोहना में स्थानीय ग्रामीणों के साथ अध्ययन दल द्वारा सामूहिक परिचर्चा।

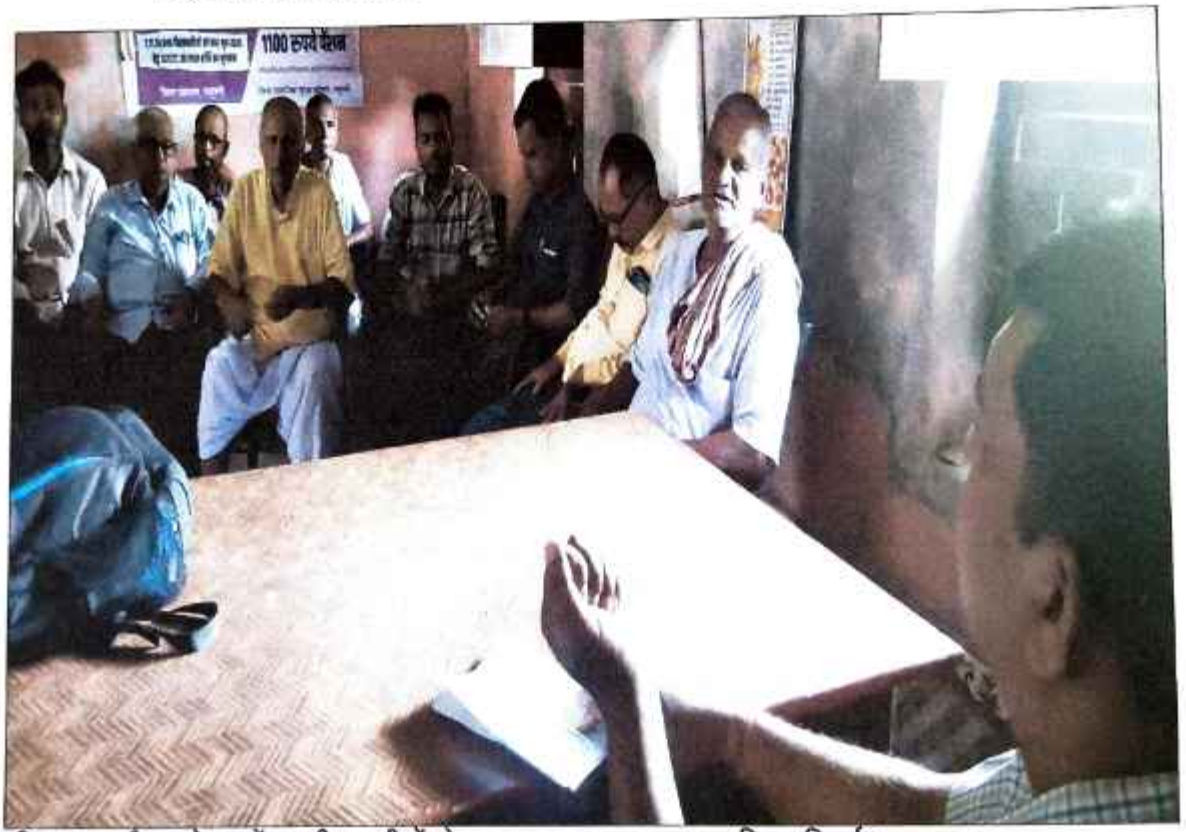

चित्र 2.6.3 मौजा लोहना में स्थानीय ग्रामीणों के साथ अध्ययन दल द्वारा सामूहिक परिचर्चा।

अध्याय–3

अधिग्रहण के अन्तर्गत भूमि

प्रस्तावित परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु सर्वेक्षित 139 रैयतों की भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत आ रही है। प्रस्तावित परियोजना हेतु कुल रकवा 252.23 एकड़ है। इसके अंतर्गत 242.91 एकड़ रैयती भूमि तथा 9.32 एकड़ गैर–रैयती भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।

3.1 नक्शा, भूमि दस्तावेजों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक स्रोतों के आधार पर अधिग्रहण हेतु भूमि की विवरणी

नीचे दर्शाया गया चित्र (नक्शा भाग) की प्रति जिला भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी से प्राप्त की गयी है। यह मधुबनी जिले के मौजा लोहना से संबंधित है। नक्शे के अनुसार अधिग्रहित किये जाने वाले रैयती भूमि का रकवा 242.91 एकड़ है एवम् गैर रैयती भूमि का रकवा 9.32 एकड़ है। यानि कुल 252.23 एकड़ भूमि प्रस्तावित अधिग्रहणार्थ है।

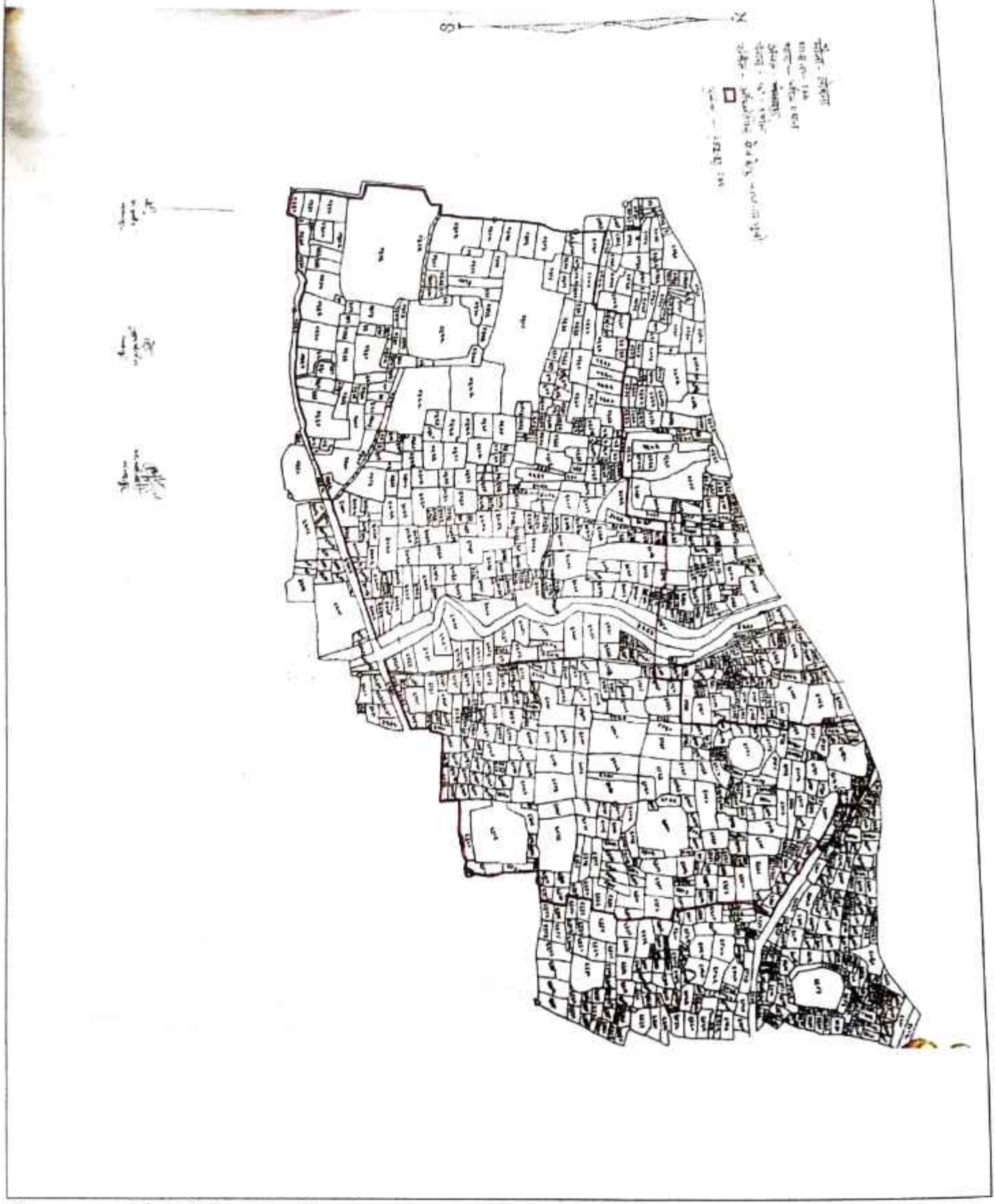

चित्र 3.1.1 प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र मौज़ा लोहना का नक्शा
(स्रोतः जिला भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी)

भू–अधिग्रहण से प्रत्यक्ष प्रभावित रैयत

सारणी 3.1.1 परियोजना प्रस्तावित अधिग्रहण से मौजावार प्रत्यक्ष प्रभावित सर्वेक्षित रैयतों की संख्या

क्र० सं०	मौजा	प्रभावित रैयतों की संख्या
1.	लोहना	139
कुल		139

कुल सर्वेक्षित 139 प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों के प्लॉट/प्लॉट का अंश अधिग्रहण प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत आ रहा हैं (विस्तृत विवरणी सारणीः 3.8.1 में देखी जा सकती है)।

चित्र 3.1.2 प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जनाधीन प्रभावित क्षेत्र

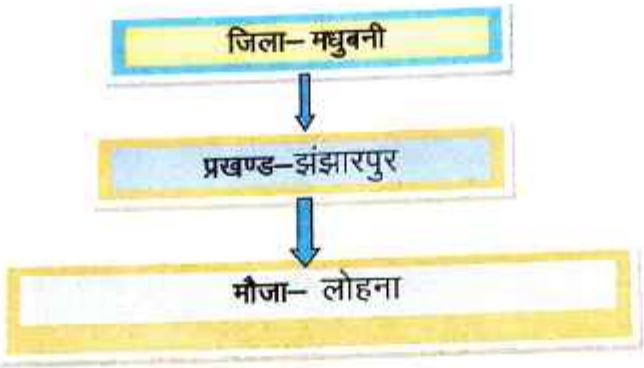

3.2 परियोजना के अन्तर्गत समस्त प्रभावित क्षेत्र (यह केवल अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

परियोजना अंतर्गत अधिग्रहीत होने वाली कूल भूमि मधुबनी जिले के मौजा लोहना, थाना नं 156 का क्षेत्र है। अधिग्रहण होने वाली कूल भूमि 252.23 एकड़ भूमि मौजा लोहना से है, जिसके तहत सर्वेक्षित 139 रैयत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र के तहत लोहना मौजा में कुछ अनुसूचित जाति के कृषि भूमि प्रस्तावित अधिग्रहण के अन्तर्गत जा रही है। अत: इन्हें नियमानुसार विशेष सुविधा भी प्रदान किया जाए।

3.3 परियोजना के लिए संदर्भित क्षेत्र से मौजावार आवश्यक प्रस्तावित अधिग्रहणार्थ भूमि विवरणी

परियोजना कियान्वयन के लिए आवश्यक भूमि की कुल परिमाप 252.23 एकड़ है जिसे मौजा लोहना से अधिग्रहण किया जाना है। इन मौजा से अधिग्रहणार्थ भूमि का विवरण नीचे दिये गए सारणी 3.3.1 में दर्शाया गया है।

सारणी: 3.3.1 प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत मौजा वार अधिग्रहणार्थ भूमि

क्र० सं०	मौजा का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)		
		रैयती	गैर रैयती	कुल
1	लोहना	242.91	9.32	252.23
कुल		242.91	9.32	252.23

3.4 परियोजना क्षेत्र के आसपास पड़ने वाले सार्वजनिक एवं अप्रयुक्त भूमि का वर्तमान उपयोग

परियोजना के परिक्षेत्र में सार्वजनिक भूमि के रूप में अनावाद सर्वसाधारण एवं अनावाद बिहार सरकार की भूमि (9.32 एकड़ जिसकी मौजावार विवरणी सारणी 3.3.1. में दर्शायी गयी है) औद्योगिक केन्द्र के उपयोग में लिये जाने का प्रस्ताव है। ये भूमि अन्य किसी दूसरे उपयोग में नहीं पाये गये है।

3.5 जमीन (अगर कोई) जो पहले से खरीदी गयी हो, अलग–थलग पड़ी हो, पट्टे पर ली गयी हो या हासिल की गयी हो, की जानकारी एवं परियोजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले भूमि के प्रत्येक प्लॉट का अभिप्रेत उपयोग

प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु स्थानीय स्तर पर रैयती एवं बिहार सरकार की कुल 252.23 एकड़ भूमि जो मौजा लोहना में अवस्थित है। इसके अलावे कोई जमीन सरकार द्वारा पहले से खरीदी हुई, अलग–थलग पड़ी हुई, पट्टे पर ली गयी, हासिल की गयी, वैसी किसी प्रकार की जानकारी स्थानीय समुदाय से प्रतिवेदित नहीं हुई।

3.6 परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की परिमाप और स्थान

प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु मधुबनी जिले के झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना, थाना नं० 156 से भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है जिसका कुल परिमाप 252.23 एकड़ है। इसकी विस्तृत विवरणी प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतवार सारणी 3.6.1. में प्रस्तुत की गयी है:–

सारणी: 3.6.1 प्रस्तावित अधिग्रहणार्थ मौजा से रैयतवार अर्जनार्थ भूमि की विवरणी

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
1	गोनू राय	162	6182	0.24	0.24	पहला	उचित दर से मुआवजा मिलना चाहिए।
2	गुलजारी यादव	1240	6297	0.13	0.13	दूसरा	रैयत के पास खेती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है इसलिए अपनी भूमि को फैक्ट्री एरिया के लिए नहीं देना चाहते।
		1240	6134	0.23	0.23	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू-स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा/ प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
3	श्याम सुंदर कामती	587	6135	0.28	0.46	पहला	रैयत का कहना परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
4	रामदेव यादव	356	6137	0.22	0.22	दूसरा	रैयती भूमि देने में असमर्थ हैं क्योंकि यह परिवार के लिए जिविकोपार्जन का साधन है।
		356	6235	0.36	0.36	दूसरा	
		356	6291	0.71	0.71	दूसरा	
5	आशानंद ठाकुर	53	6185	0.37	0.37	दूसरा	रैयती भूमि देने में असमर्थ हैं क्योंकि यह परिवार के जिविकोपार्जन का साधन है।
		53	6207	0.26	0.26	दूसरा	
		53	6209	0.25	0.25	दूसरा	
		53	6185	0.10	0.37	दूसरा	
		53	6240	0.03	0.03	दूसरा	
		53	6243	0.05	0.43	दूसरा	
		53	6257	0.07	0.56	दूसरा	
6	रामप्रसाद चौपाल	824	6200	0.18	0.18	दूसरा	रैयती भूमि देने में असमर्थ हैं क्योंकि यह परिवार के जिविकोपार्जन का साधन है।
7	लक्ष्मण चौधरी	29	6224	0.16	0.31	दूसरा	मुआवजा में भूमि के बदले भूमि तथा रोजगार मिलना चाहिए।
8	बासो यादव	671	6292	0.25	0.25	दूसरा	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देंगे।
		671	6293	0.11	0.11	दूसरा	
9	रमन यादव	1221	6193	0.21	0.9	पहला	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देंगे।
10	ममता ठाकुर	512	6288	0.37	0.37	दूसरा	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देंगे।
		512	6289	0.29	0.29	दूसरा	
11	खुरखुर यादव	642	6536	0.22	0.22	दूसरा	बाजार दर से मुआवजा मिलना चाहिए तथा रोजगार भी मिलना चाहिए।
		1290	6541	0.10	0त्र23	दूसरा	
		1289	6537	0.09	0.19	दूसरा	
12	रविकांत झा	127	6543	0.25	0.64	दूसरा	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देंगे।
13	शोभालाल कामत	207	2583	0.32	0.32	पहला	बाजार दर से मुआवजा मिलना चाहिए तथा रोजगार भी मिलना चाहिए
		1309	2645	0.04	0.12	पहला	
		460	2586	0.11	0.22	पहला	
		207	7466	0.09	0.09	पहला	
14	सुकुमारी देवी	581	2489	11.99	0.78	दूसरा	बाजार दर से मुआवजा मिलना चाहिए तथा रोजगार भी मिलना
		985	2545	0.15	0.30	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू-स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
							चाहिए
15	माधव कामती	460	2497	0.69	0.39	पहला	इस क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास की जरूरत है। हम जमीन देने के लिए तैयार है।
16	जितेंद्र कामती	460	2497	0.39	0.39	दूसरा	इस क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास की जरूरत है। हम जमीन देने के लिए तैयार है।
17	दिशम्बर	460	2497	0.39	0.39	पहला	इस क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास की जरूरत है। हम जमीन देने के लिए तैयार है।
		460	2501	0.33	0.33	पहला	
		460	2502	0.2	0.2	स्वयं	
		460	2602	0.2	0.2	स्वयं	
18	शशिनाथ मिश्रा	1141	2503	0.67	0.37	दूसरा	हमलोग के पास खेती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है इसलिए हमलोग अपनी भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1028	2519	0.31	0.31	दूसरा	
		208	2520	0.11	0.11	दूसरा	
		1182	2524	0.44	0.44	दूसरा	
		178	7465	0.04	0.12	दूसरा	
19	राम नारायण कामत	591	2489	0.78	0.78	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		581	2516	0.29	0.29	दूसरा	
20	बद्यनाथ मिश्रा	142	2536	0.44	0.44	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		143	5858	0.95	0.95	दूसरा	
		142	5881	0.26	0.26	दूसरा	
		141	2596	0.43	0.43	दूसरा	
		141	2551	0.04	0.11	दूसरा	
		141	2555	0.12	0.36	दूसरा	
21	मोहन मिश्रा	142	2536	0.14	0.44	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		143	5858	0.31	0.95	पहला	
		142	5881	0.06	0.26	पहला	
		141	2596	0.13	0.4	पहला	
		141	2551	0.04	0.11	पहला	
		141	2555	0.12	0.36	पहला	
22	मोहन मिश्रा	142	2536	0.14	0.44	पहला	अगर सरकार उचित मुआवजा देगी तो हमलोग भूमि दे सकते है।
		143	5858	0.31	0.95	पहला	
		142	5881	0.08	0.26	पहला	
		141	2596	0.13	0.40	पहला	
		141	2551	0.04	0.11	पहला	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		141	2555	0.12	0.36	पहला	
23	अजीत कुमार मिश्रा	423	2540	0.08	0.08	पहला	मुआवजा वर्तमान तथा बाजार दर से मिलना चाहीए।
		121	2544	0.22	0.22	पहला	
		423	2581	0.25	0.25	पहला	
		585	5801	0.52	0.52	पहला	
		424	5895	0.51	0.51	पहला	
24	रेखा देवी	365	2549	0.24	0.24	पहला	मुआवजा वर्तमान तथा बाजार दर से मिलना चाहीए।
25	बुलबुल मंडल	791	2563	0.12	0.51	पहला	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
26	लक्ष्मी कामत	791	2563	0.15	0.51	पहला	मुआवजा वर्तमान तथा बाजार दर से मिलना चाहीए।
		504	2656	0.25	0.77	पहला	
27	श्याम कामत	560	2564	1.76	1.76	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
28	सत्यनारायण साह	155	2569	0.05	0.40	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
29	सोनाई कामत	899	2577	0.18	0.18	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		899	2580	0.25	0.25	पहला	
		1355	2673	0.32	0.72	पहला	
30	समतोला देवी	155	2569	0.16	0.40	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
31	रामनाथ मिश्रा	1028	2547	0.29	0.29	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1053	2573	0.17	0.17	पहला	
		1053	2579	0.16	0.16	पहला	
		1053	2582	0.28	0.28	पहला	
		1053	2629	0.76	0.76	पहला	
32	द्रोपदी देवी	141	2596	0.04	0.4	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
33	सीताराम राय	287	2599	0.02	0.02	तीसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		287	2601	0.16	0.16	तीसरा	
34	रघुनाथ मिश्रा	1331	2610	0.04	0.37	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1331	2612	0.21	0.62	पहला	
		1331	2671	0.11	0.36	पहला	
35	बसंती देवी	314	2619	0.26	0.69	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
36	हरिशंकर	133,207	2653,1262	0.1874		पहला	अगर उचित मुआवजा मिलता है भूमि दे सकते हैं।
37	सुखदेव साह	1249	2625	0.31	0.31	तीसरा	अगर उचित मुआवजा

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा/ प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		1245	2670	0.68	0.68	तीसरा	मिलता है भूमि दे सकते हैं।
38	मकसूदन कामत	26	2672	0.17	0.37	दूसरा	अगर उचित मुआवजा मिलता है भूमि दे सकते हैं।
39	रामलगन साहू	26	2672	0.15	0.37	दूसरा	अगर उचित मुआवजा मिलता है भूमि दे सकते हैं।
40	पिताम्बर कामती	1353	2673	0.23	0.72	दूसरा	अगर उचित मुआवजा मिलता है भूमि दे सकते हैं।
		504	2656	0.39	0.77	दूसरा	
41	लालदेई देवी	1353	2673	0.17	0.72	पहला	अगर उचित मुआवजा मिलता है भूमि दे सकते हैं।
42	विनोदानंद झा	186	2681,7492	0.08		पहला	अगर उचित मुआवजा मिलता है भूमि दे सकते हैं।
		240	2681,7493	0.08		पहला	
		587	5835	0.28		पहला	
43	दिनेश झा	499	7494,2681	0.6	0.6	तीसरा	बाजार दर से मुआवजा मिलना चाहिए।
44	अरुण कुमार	810	2682	0.14	0.14	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		810	2683	0.02	0.14	पहला	
		1257	5863	0.44	0.56	पहला	
		810	2684	0.16	0.16	पहला	
45	शेखर कुमार	33	5785	0.3	2.22	तीसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		652	5779	0.21	0.23	दूसरा	
46	संतोष कुमार	1171	2637	0.04	0.04	तीसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1171	2676	0.05	0.05	तीसरा	
		986	2679	0.04	0.04	तीसरा	
		1320	2615	0.23	0.23	दूसरा	
			2614	0.09	0.09	दूसरा	
		1361	5819	0.21	0.21	दूसरा	
			5821	0.1	0.1	दूसरा	
		1257	5822	0.53	0.83	दूसरा	
47	जीवनंदन चौधरी	33	5785	0.08	2.22	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
48	ललित राय	33	5785	0.3	2.22	दूसरा	इसी भूमि के आय से परिवार का भरण–पोषण होता है। भूमि देने में असमर्थ हैं।

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
49	ललन चौधरी	33	5794	0.13	0.13	दूसरा	इसी भूमि के आय से परिवार का भरण–पोषण होता है। भूमि देने में असमर्थ हैं।
		346	5812	0.42	0.42	दूसरा	
		346	5814	0.63	0.63	दूसरा	
		460	5936	0.28	0.28	दूसरा	
50	सीताराम मुखिया	648	5806	0.19	0.19	दूसरा	इसी भूमि के आय से परिवार का भरण–पोषण होता है। भूमि देने में असमर्थ हैं।
		162	6182	0.24	0.24	दूसरा	
		460	5939	0.33	0.33	दूसरा	
		1028	6244	0.10	0.28	दूसरा	
		197	6251	0.14	0.20	दूसरा	
51	किशुन कुमार	231	4428	0.23		पहला	मुआवजा में भूमि के बदले भूमि तथा उचित रोजगार मिलना चाहीए।
		986	2678	0.09		दूसरा	
		1234	5783	0.36		दूसरा	
		638	5784	0.1		दूसरा	
		687	5809	0.4		दूसरा	
		687	5811	0.09		दूसरा	
		638	5834	0.04		दूसरा	
		1181	5873	0.11		दूसरा	
		687	5876	0.06		दूसरा	
		146	5839	0.04		दूसरा	
		843	5848	0.13		दूसरा	
52	नुनु देवी	986	2678	0.02	0.09	दूसरा	मुआवजा में भूमि के बदले भूमि तथा उचित रोजगार मिलना चाहीए।
		1234	5783	0.09	0.36	दूसरा	
		638	5784	0.10	0.40	दूसरा	
		687	5811	0.08	0.36	दूसरा	
		638	5834	0.05	0.18	दूसरा	
		1181	5873	0.11	0.44	दूसरा	
		687	5876	0.06	0.25	दूसरा	
		687	5809	0.01	0.04	दूसरा	
		146	5839	0.04	0.17	दूसरा	
		1181	5873	0.11	0.44	दूसरा	
		687	5876	0.06	0.25	दूसरा	
53	जिशुन कामती	986	2678	0.03	0.09	दूसरा	मुआवजा में भूमि के बदले भूमि तथा उचित रोजगार मिलना चाहीए।
		1234	5783	0.09	0.36	दूसरा	
		638	5784	0.1	0.4	दूसरा	
		687	5809	0.1	0.4	दूसरा	
		638	5834	0.05	0.18	दूसरा	
		1181	5873	0.11	0.44	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		146	5839	0.04	0.17	दूसरा	
		1181	5873	0.11	0.44	दूसरा	
		687	5876	0.06	0.25	दूसरा	
54	गणिता देवी	986	2678	0.03	0.09	दूसरा	प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के हित में है। उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देंगे।
		1234	5783	0.09	0.36	दूसरा	
		638	5784	0.1	0.4	दूसरा	
		687	5809	0.1	0.4	दूसरा	
		638	5834	0.05	0.18	दूसरा	
		1181	5873	0.11	0.44	दूसरा	
		146	5839	0.04	0.17	दूसरा	
		1181	5873	0.11	0.44	दूसरा	
		687	5876	0.06	0.25	दूसरा	
55	अशोक कुमार कामती	421	5867	0.14	0.41	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		132	5826	0.145	0.12	दूसरा	
		171	5874	0.25	0.25	दूसरा	
		638	5846	0.17	0.17	दूसरा	
		366	5847	0.17	0.21	दूसरा	
		843	5848	0.25	0.52	दूसरा	
		132	5849	0.25	0.52	दूसरा	
		1040	2665	0.17	0.17	दूसरा	
		460	2606	0.66	0.118	दूसरा	
		1326	2632	0.2	0.19	दूसरा	
		1331	2612	0.3	0.62	दूसरा	
		893	2506	0.71	0.78	दूसरा	
		178	5856	0.12	0.12	दूसरा	
56	अशोक कुमार कामती	652	5779	0.23	0.23	पहला	उचित मुआवजा तथा रोजगार मिलने पर भूमि दे सकते हैं।
		1360	5780	0.11	0.11	पहला	
		1360	5781	0.22	0.22	पहला	
		44	5782	0.34	0.34	पहला	
57	रामजी साह	619	5887	0.02	0.09	तीसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		156	5889	0.085	0.35	तीसरा	
58	बेचन मिश्रा	779	5892	0.46	0.46	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		779	5877	0.15	0.15	दूसरा	
59	कृष्णा कामत	50	5937	0.8	1.12	दूसरा	परियोजना निर्माण से

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		50	5938	0.61	0.61	दूसरा	सहमत हैं।
60	अमृतलाल	30	5948	0.18	0.36	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		29	5949	0.15	0.31	दूसरा	
61	सत्यनारायण झा	489	6096	0.8	0.20	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		489	6053	0.6	0.6	दूसरा	
62	रामलोचन चौपाल	286, 422	6034, 4617	0.22	0.22	पहला	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		129	4683	0.45		पहला	
		397	4702	0.18		पहला	
63	चुनचुन चौपाल	567	6161	0.26	0.28	पहला	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
64	संजीत राय	347	5788	0.14	0.14	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		567	5789	0.17	0.17	दूसरा	
		567	5796	0.84	0.84	दूसरा	
		567	6161	0.28	1.28	दूसरा	
		33	6189	0.21	0.12	दूसरा	
		566	6552	0.12		दूसरा	
65	किशोरी राय	1028	6244	0.1	0.28	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
66	देवनारायण कामटी	33	6189	0.21	1.09	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		33	6190	0.14	0.40	दूसरा	
		201	6191	0.32	1.28	दूसरा	
67	देवकांत झा	115	6092	0.07	0.07	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		115	6093	0.07	0.07	दूसरा	
		115	6094	0.09	0.09	दूसरा	
		115	6095	0.06	0.06	दूसरा	
68	श्रीधर झा	495	6054	0.24	0.24	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		495	6055	0.1	0.1	दूसरा	
69	अशोक राय	246	6266	0.11	0.11	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
70	सत्यनारायण झा	489	6568	0.04	0.04	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
71	असरफी कामत	740	6263	0.46	0.46	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
72	सत्यनारायण चौधरी	1215	5798	0.24	0.24	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		1215	5799	0.16	0.16	दूसरा	
		1360	5800	0.03	0.03	दूसरा	
		962	6229	0.08	0.08	दूसरा	
73	योगेंद्र लाल	1107	6231	0.08	0.08	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
	कामत	1107	6232	0.07	0.07	दूसरा	में असमर्थ हैं।
		893	6248	0.13	0.13	दूसरा	
		53	6257	0.56	0.56	दूसरा	
		503	6258	0.34	0.34	दूसरा	
		503	6259	0.15	0.15	दूसरा	
		503	6292	0.2	0.2	दूसरा	
		460	5939	0.33	0.33	दूसरा	
		53	6243	0.44	0.44	दूसरा	
		393	5940	0.21	0.43	दूसरा	
		1028	5941	0.2	0.2	दूसरा	
74	देवानंद झा	889	5952	0.45	1.08	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
75	राधा देवी	1151	6029	0.22	0.22	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		617	6296	0.16	0.16	दूसरा	
		893	6248	0.13	0.13	दूसरा	
76	लक्ष्मी साह	648	6102	0.06	0.07	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
77	हेमकांत झा	290	6028	0.15	0.15	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		290	6097	0.05	0.05	दूसरा	
		290	6098	042	0.42	दूसरा	
		290	6101	0.03	0.03	दूसरा	
		290	6126	0.09	0.09	दूसरा	
		290	6199	0.18	0.18	दूसरा	
		290	6245	0.34	0.34	दूसरा	
		1066	6279	0.2	0.2	दूसरा	
		291	6569	0.04	0.04	दूसरा	
		290	6050	0.05	0.05	दूसरा	
		536	6049	0.10	0.43	दूसरा	
		1024	6203	0.45	0.45	दूसरा	
78	जयराम चौपाल	533	4587	0.3		दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		532	4589			दूसरा	
		526	4592			दूसरा	
		576	4593			दूसरा	
79	शोभाकांत झा	328	6104	0.28		दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
80	जीवद्ध चौधरी	33	5785	0.18	1.42	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
81	अधिगृहीत मिश्रा	454	1136&1137	095	0.95	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
			1139	0.35	0.35	दूसरा	
		26	2534	0.46	0.46	दूसरा	
		95	2535	0.46	0.46	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू-स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		26	2537	0.23	0.23	दूसरा	
		26	2543	0.88	0.88	दूसरा	
		26	2554	1.35	1.35	दूसरा	
		13	1182	0.91	0.91	दूसरा	
		26	2562	0.66	0.66	दूसरा	
		26	2578	0.41	0.41	दूसरा	
		26	2672	0.37	0.37	दूसरा	
82	राजीव कुमार झा	83	2681	0.16	0.16	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		83	2514	0.71	0.71	दूसरा	
		83	5872	0.63	0.63	दूसरा	
		83	5947	0.69	0.69	दूसरा	
83	विनय झा	624	2513	0.72	0.72	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		624	594	0.28	0.28	दूसरा	
		624	5946	0.43	0.43	दूसरा	
		624	2681ए94 91	0.16	0.16	दूसरा	
84	लक्ष्मण चौधरी	230	5948	0.36	0.36	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		29	5449	0.37	0.37	दूसरा	
85	निर्मला देवी	1053	5802	0.31	0.31	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1053	5803	0.43	0.43	दूसरा	
86	मंतेश्वर झा	893	2499	0.26	0.26	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		893	2506	0.78	0.78	दूसरा	
		893	2652	0.2	0.2	दूसरा	
		893	5890	0.16	0.16	दूसरा	
		893	5897	0.31	0.31	दूसरा	
		893	5897	0.25	0.25	दूसरा	
		893	5940	0.43	0.43	दूसरा	
		893	6214	0.2	0.68	दूसरा	
87	गीता देवी	50	2598	0.0394	0.22	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं।
		148	2603	0.08	0.08	दूसरा	
88	मल्लू मुखिया	756	2561	0.25	0.40	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
89	हरि मुखिया	460	2548	0.10	0.10	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		756	2559	0.0872	0.31	दूसरा	
		756	2569	0.08284	0.40	दूसरा	
		460	2586	0.22	0.22	दूसरा	
90	पूनम देवी	314	2624	0.39	0.85	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
91	हरिमोहन कामत	587	2518	0.29	0.29	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		460	2648	0.18	0.18	दूसरा	
		1028	2551	0.2	0.2	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
92	शिवल्ला साह	141	2595	0.73	0.73	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		655	2597	0.4	0.4	पहला	
		655	2611	0.69	0.69	पहला	
		654	2594	0.38	0.38	पहला	
93	ढकाई साहू	655	2620	0.12	0.12	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		655	2623	0.13	0.13	पहला	
		655	5864	0.05	0.05	पहला	
		171	586	0.06	0.06	पहला	
94	फुलो देवी	376	2626	0.08	008	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
95	तुलुबिया देवी	1360	2621	0.17	0.17	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
96	सोधन कामत	1309	2627	0.07	0.07	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
	सुनील कामती	1309	2645	0.12	0.12	दूसरा	
97	हरि नाथ इग्रहा	1326	2632	0.19	0.19	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
98	युगल कामती	560	2669	0.12	0.57	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1257	5807	0.13	0.13	पहला	
		1257	5808	0.5	1.10	पहला	
99	हरिवंश कामती	560	2669	0.17	0.57	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
100	उमा देवी	560	2669	0.13	0.57	पहला	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देने के लिए विचार कर सकते हैं।
101	संतोष साहू	314	2619	0.69	0.69	पहला	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देने के लिए विचार कर सकते हैं।
		314	2624	0.85	0.85	पहला	
102	कृपानाथ मिश्रा	1331	2610	0.04	0.37	पहला	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देने के लिए विचार कर सकते हैं।
103	दयानाथ मिश्रा	1331	2612	0.21	0.62	पहला	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देने के लिए विचार कर सकते हैं।
104	बाऊलाल कामत	207	6236	0.06	0.22	पहला	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देने के लिए विचार कर सकते हैं।
		207	2650	0.04	0.10	पहला	
		307	2591	0.16	047	पहला	
		207	2583	0.08	0.32	पहला	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू-स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		309	2645	0.04	0.12	पहला	
105	राजेंद्र मुखिया	833	2617	0.04	0.14	पहला	उचित मुआवजा मिलने पर भूमि देने के लिए विचार कर सकते हैं।
106	साहिदनरा मुखिया	833	2617	0.04	0.14	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
107	कौशल्या देवी	833	2617	0.4	0.14	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
108	शिवलाल कामत	397	4439	0.53	0.53	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
109	सिंधुलाल मिश्रा	76	2607	0.39	0.39	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		76	2622	0.16	0.16	पहला	
110	श्यामा साहू	619	5887	0.02	0.045	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		156	5889	0.085	0.17	दूसरा	
111	शांति देवी	619	5887	0.04	0.09	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		156	5889	0.17	0.35	पहला	
112	सरजू साहू	619	5887	0.02	0.09	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		156	5889	0.08	0.35	पहला	
113	परमेश्वर साहू	1216	5797	0.47	0.47	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
114	उमानाथ मिश्रा	76	2546	0.25	0.25	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		76	2587	0.64	0.64	पहला	
		76	2622	0.16	0.16	पहला	
		560	2667	0.13	0.57	पहला	
		560	2669	0.13	0.57	पहला	
		76	2674	0.31	0.31	पहला	
115	कुसुम लाल चौधरी	29	6224	0.15	0.31	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
116	लक्ष्मी नारायण झा	1107	6124	0.16	0.16	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1107	6231	0.08	0.08	दूसरा	
		1107	6232	0.07	0.07	दूसरा	
		1107	6241	0.12	0.12	दूसरा	
117	मंजू देवी	171	5874	0.7	0.7	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		171	5875	0.44	0.44	पहला	
118	शिवकुमार झा	1243	2517	0.56	0.56	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
119	चंद्रनाथ ठाकुर	4	6167	0.39	0.39	तीसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		4	6168	0.28	0.28	तीसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		1221	6133	0.35	0.35	तीसरा	
		4	6156	0.13	0.17	तीसरा	
		4	6163	0.28	0.28	तीसरा	
120	संतोष ठाकुर	1221	6042	0.18	0.18	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
121	मिश्री लाल साहू	899	2639	0.15	0.15	पहला	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		1040	2665	0.17	0.17	पहला	
		638	2638	0.109	0.112	पहला	
		899	2641	0.15	0.15	पहला	
		213	2625	0.0658	0.31	पहला	
122	देवनारायण साहू	899	2659	0.08	0.08	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		899	2643	0.13	0.13	दूसरा	
		899	5884	0.16	0.16	दूसरा	
		1040	2665	0.23	0.23	दूसरा	
		899	2659	0.08	0.18	दूसरा	
		899	2643	0.13	0.13	दूसरा	
		899	5884	0.16	0.16	दूसरा	
		1040	2665	0.23	0.23	दूसरा	
		638	2638	0.109	0.12	दूसरा	
		899	2639	0.15	0.5	दूसरा	
		934	2640	0.1952	0.26	दूसरा	
		213	2625	0.16	0.18	दूसरा	
123	उपेन्द्र चौधरी	694	2642	0.03	0.03	दूसरा	परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
		695	6261	0.16	0.16	दूसरा	
		695	6265	0.08	0.08	दूसरा	
		695	6276	0.17	0.17	दूसरा	
		390	5792	0.09	0.09	दूसरा	
124	रामवीर चौधरी	53	6186	0.73	0.73	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत है। आवासीय दर से मुआवजा मिलना चाहिए।
		1123	6188	0.41	2.88	दूसरा	
		691	6254	0.09	0.09	दूसरा	
		691	6256	0.17	0.17	दूसरा	
		356	6235	0.36	0.36	दूसरा	
		356	6291	0.71	0.71	दूसरा	
		566	6137	0.22	0.22	दूसरा	
		167	6216	0.64	0.64	दूसरा	
		167	6219	0.51	0.51	दूसरा	
		167	6220	0.44	0.44	दूसरा	
125	इंद्रनाथ ठाकुर	4	6165	0.22	0.22	दूसरा	कम्पनी लगना चाहिए।
		4	6166	0.73	0.73	दूसरा	
126	अनिल कुमार ठाकुर	1076	6041	0.2	0.2	दूसरा	कम्पनी लगना चाहिए।
		1076	6042	0.27	0.27	दूसरा	
		1076	6132	1.05	1.05	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		1076	6164	0.96	0.96	दूसरा	
		1076	6192	0.43	0.43	दूसरा	
		1077	6194	0.58	0.58	दूसरा	
		1076	6208	0.37	0.37	दूसरा	
127	माधवेश्वर झा	1028	2490	0.82	0.82	दूसरा	कम्पनी लगना चाहिए।
		1028	2498	0.13	0.13	दूसरा	
		1028	2500	0.28	0.28	दूसरा	
		1028	2507	0.77	0.77	दूसरा	
		1028	2519	0.31	0.31	दूसरा	
		1028	2547	0.29	0.29	दूसरा	
		1028	2576	0.96	0.96	दूसरा	
		1028	2651	0.20	0.20	दूसरा	
		1028	5859	0.63	0.63	दूसरा	
		1028	5899	0.31	0.31	दूसरा	
		1028	5900	0.62	0.62	दूसरा	
		1028	5941	0.35	0.35	दूसरा	
		1028	6237	0.18	0.18	दूसरा	
		1028	6244	0.28	0.28	दूसरा	
		1028	6269	0.38	0.38	दूसरा	
		1028	6283	0.10	0.10	दूसरा	
128	जीतन झा	816	5954	0.15	0.15	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत हैं। लेकिन अधिग्रहीत होने वाली भूमि पर उद्योग की स्थापना होनी चाहिए जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
		816	6033	0.34	0.34	दूसरा	
		816	6044	0.34	0.34	दूसरा	
		816	6100	0.82	0.82	दूसरा	
		816	6138	0.09	0.09	दूसरा	
		816	6139	0.08	0.08	दूसरा	
		816	6140	0.08	0.08	दूसरा	
		816	6179	0.35	0.35	दूसरा	
		1131	6560	0.09	0.09	दूसरा	
		1131	6561	0.17	0.17	दूसरा	
		1131	6562	0.02	0.02	दूसरा	
		816	6563	0.16	0.16	दूसरा	
		816	6564	0.16	0.16	दूसरा	
		817	6575	0.23	0.23	दूसरा	
		969	6128	0.35	0.35	दूसरा	
		1360	6141	0.11	0.11	दूसरा	
		185	6127	0.14	0.14	दूसरा	
		816	6044	0.34	0.34	दूसरा	
		587	6135	0.46	0.46	दूसरा	
129	प्रमोद झा	468	2504	9.52	9.52	दूसरा	परियोजना निर्माण से सहमत नहीं हैं।
		468	2509	2.15	2.15	दूसरा	
		468	2589	3.12	3.12	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू-स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		998	639	0.25	0.25	दूसरा	
		475	6322	0.51	0.51	दूसरा	
130	शिवकुमार झा	592	2634	0.4	0.4	दूसरा	उचित मुआवजा तथा रोजगार मिलना चाहीए।
		592	5844	0.46	0.46	दूसरा	
131	नीला झा	44	2631	0.54	0.54	दूसरा	उचित मुआवजा तथा रोजगार मिलना चाहीए।
		44	2635	0.74	0.74	दूसरा	
		44	5782	0.34	0.34	दूसरा	
132	विनोदमणि झा	465	2526	11.85	11.85	दूसरा	उचित मुआवजा तथा रोजगार मिलना चाहीए।
		465	2588	3.86	3.86	दूसरा	
		732	5840	0.34	0.34	दूसरा	
		732	5841	0.25	0.25	दूसरा	
		732	5841	0.44	0.44	दूसरा	
		732	5843	0.21	0.21	दूसरा	
133	विजय कुमार साही	899	5884	0.16	0.16	दूसरा	उचित मुआवजा तथा रोजगार मिलना चाहीए।
134	दीनानाथ साहू	376	2608	0.48	0.48	दूसरा	उचित मुआवजा तथा रोजगार मिलना चाहीए।
		376	2609	0.63	0.63	दूसरा	
		376	5896	0.56	056	दूसरा	
135	द्वारिकानाथ मिश्र	376	2654	0.09	0.09	दूसरा	उचित मुआवजा तथा रोजगार मिलना चाहीए।
136	असरफी कामत	624	2681	0.16	0.16	दूसरा	परियोजना निर्माण हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं। परिवार के जीविकोपार्जन का यही साधन है।
		1149	5825	0.11	0.11	पहला	
		1133	5826	0.15	0.15	पहला	
		41	5870	0.25	0.25	पहला	
		132	5871	0.36	0.36	पहला	
		892	5850	0.64	0.64	पहला	
		729	6213	1.09	1.09	पहला	
		893	6214	0.34	0.34	पहला	
		42	5833	0.125	0.125	दूसरा	
		132	5828	0.06	0.06	पहला	
		132	5829	0.085	0.085	पहला	
		132	5830	0.11	0.11	पहला	
		132	5831	0.06	0.06	पहला	
		42	5832	0.13	0.13	पहला	
		987	2644	0.11	0.11	पहला	
		985	2572	0.065	0.065	दूसरा	
		986	2675	0.025	0.025	दूसरा	
		985	2680	0.02	0.02	दूसरा	
		985	2636	0.025	0.025	दूसरा	
		438	5878	0.055	0.055	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू-स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा / प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
		985	5879	0.05	0.05	दूसरा	
		985	2614	0.1	0.1	दूसरा	
		1320	2628	0.11	0.11	दूसरा	
		985	2660	0.035	0.035	दूसरा	
		985	2663	0.05	0.05	दूसरा	
		985	5845	0.085	0.085	दूसरा	
		985	5943	0.185	0.185	दूसरा	
		985	5944	0.22	0.22	दूसरा	
		985	6255	0.105	0.105	दूसरा	
		460	5860	0.08	0.08	दूसरा	
137	सहदेव असरफी	1208	2661	0.10	0.10	पहला	परियोजना निर्माण हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं। परिवार के जीविकोपार्जन का यही साधन है।
		42	2664	0.48	0.48	पहला	
		1257	5863	0.12	012	पहला	
		1257	5869	0^{m}.04	0.04	पहला	
		147	5837	0.27	0.27	पहला	
		148	5839	0.17	0.17	पहला	
		132	5823	0.26	0.26	पहला	
		1257	5818	0.05	0.05	पहला	
		1257	5860	0.15	0.15	पहला	
		1257	5808	0.05	0.05	पहला	
		1257	5822	0.30	0.30	पहला	
		892	5850	0.64	0.64	पहला	
		729	6213	1.08	1.08	पहला	
		893	6214	0.34	0.34	पहला	
		421	5867	0.28	0.28	पहला	
		42	5833	0.125	0.125	पहला	
		132	5828	0.06	0.06	पहला	
		132	5829	0.085	0.085	पहला	
		132	5830	0.11	0.11	पहला	
		132	5831	0.06	0.06	पहला	
		132	5832	0.13	0.13	पहला	
		42	2644	0.11	0.11	पहला	
		987	2572	0.065	0.065	दूसरा	
		985	2675	0.025	0.025	दूसरा	
		986	2680	0.02	0.02	दूसरा	
		985	2636	0.025	0.025	दूसरा	
		985	5878	0.055	0.055	दूसरा	
138	उमानाथ मिश्रा	76	2546	0.25	0.25	दूसरा	व्यवसायिक दर से मुआवजा मिलना चाहीए।
			2587	0.64	0.64	दूसरा	
			2607	0.39	0.39	दूसरा	
			2622	0.16	0.16	दूसरा	

क्रम सं०	वर्त्तमान भू–स्वामी का नाम	खाता सं०	खेसरा/ प्लॉट सं०	अधिग्रहणार्थ कुल भूमि का क्षेत्रफल	खतियानी क्षेत्र	पीढ़ी	टिप्पणी
			2674	0.31	0.31	दूसरा	
139	देवेश झा	1289	5958	0.11	0.11	दूसरा	परिवार की संख्या ज्यादा है। परिवार में सहमती नहीं है इसलिए भूमि देने में असमर्थ है।
		1290	596	0.2	0.31	दूसरा	
		934	6030	0.13	0.13	दूसरा	
		934	6032	0.43	0.43	दूसरा	
		934	6043	0.39	0.39	दूसरा	
		934	6045	0.31	0.31	दूसरा	
		934	6099	0.06	0.06	दूसरा	
		934	6110	0.65	0.65	दूसरा	
		934	6114	0.51	0.51	दूसरा	
		1290	6115	0.52	0.52	दूसरा	
		934	6175	0.79	0.79	दूसरा	
		934	6176	0.79	0.79	दूसरा	
		1290	6178	0.18	0.18	दूसरा	
		1290	6180	0.26	0.26	दूसरा	
		1290	6215	1.25	1.25	दूसरा	
		1289	6537	0.19	0.19	दूसरा	
		1290	6541	0.23	0.23	दूसरा	
		1289	6555	0.09	0.09	दूसरा	
		1289	6556	0.09	0.09	दूसरा	
		934	6557	0.76	0.76	दूसरा	
		934	6573	0.13	0.13	दूसरा	

3.7 प्रकृति, वर्तमान उपयोग, भूमि का वर्गीकरण और यदि कृषि भूमि है तो इसका सिंचाई विस्तार एवं फसल चक्र

प्रस्तावित अधिग्रहणार्थ भूमि उत्तराधिमान, खतियानी, केवाला, रैयती और विक्रयनामा का है। रैयती भूमि प्रमुखता में कृषि एवं आवासीय श्रेणी की है। कृषि भूमि की मिट्टी का स्वभाव दोमट एवं बलूई है। गेहूं/मक्का और धान जैसी दो फसलें एक साल में उगाई जाती हैं। नदी तथा भूमिगत जल सिंचाई के मुख्य साधन के रूप में प्रतिवेदित हुए हैं।

3.8 भूमि धारण का प्रकार, स्वामित्व का प्रारूप, भूमि वितरण एवं आवासीय मकानों की संख्या

अधिग्रहण के अन्तर्गत आने वाली कुल भूमि का क्षेत्र 252.23 एकड़ है जिसमें से 242.91 एकड़ रैयती भूमि है जो कृषि के अलावे आवासीय भूमि के रूप में व्यवहृत पायी गयी है। भूस्वामित्व का आधार मुख्य रूप से खतियानी, केवाला, रैयती एवं बिहार सरकार है।

सारणीः 3.8.1 प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों द्वारा कुल धारित भूमि

धारित भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	रैयतों की संख्या	प्रतिशत
0–2.5 एकड़ से कम	94	67.63
2.5–.5 एकड़	18	12.95
5–10 एकड़	16	11.51
10 एकड़ से अधिक	11	7.91
कुल सर्वेक्षित रैयत	**139**	**100.00**

प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना से आवश्यक भू–अर्जन से प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों में सर्वाधिक रैयतों (67.63%) की भू–धारिता 2.5 एकड़ तक पायी गयी। 12.95 प्रतिशत परिवारों की भू–धारिता 2.5 से 5 एकड़ के बीच पायी गयी। 11.51 प्रतिशत परिवारों की भू–धारिता 5–10 एकड़ के बीच पायी गयी जबकि 139 रैयतों में से 7.91 प्रतिशत परिवारों के पास 10 एकड़ से अधिक जमीन प्रतिवेदित हुई है, सारणी 3.8.2।

3.9 भूमि का मूल्य, तत्काल मालिकाना हक एवं पिछले तीन वर्षों से भूमि का उपयोग

परियोजना की उद्घोषणा के बाद भूमि के बाजार मूल्य में बढ़ोत्तरी प्रतिवेदित हुई है ऐसा स्थानीय समुदाय का मानना है। अपनी भूमि का अधिक–से–अधिक प्रतिकर पाने के लिए स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों में ऐसी प्रवृति का बोध हुआ। अधिग्रहणार्थ अपनी भूमि का बाजार मूल्य बढ़ा–चढ़ाकर बताया गया, ऐसा अपुष्ट जानकारी से भी आभास हुआ। विक्रयनामा में दर्ज मूल्य एवम् वास्तविक/बाजार विक्रय मूल्य में भी अंतर की बात चर्चा में आयी। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित कुल भूमि में से अधिकांश भूमि कृषि उपयोग में रही है।

भूमि के वर्तमान मूल्य का निर्धारण रैयत द्वारा प्रतिवेदित मुल्य दर के आधार पर किया गया है। भूमि का पिछले तीन वर्षों या उससे भी अधिक से उपयोग एवम् मालिकाना हक रैयतों द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर किया गया है।

अध्याय–4

परियोजा प्रभाव आंकलन

प्रस्तावित मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र निर्माण हेतु परियोजना क्रियान्वयन से पड़ने वाले बहुआयामी प्रभाव की पहचान एवम् आंकलन करने की कोशिश अध्ययन दल द्वारा की गयी है। स्थानीय समुदाय एवम् हितधारकों से प्राप्त जानकारी एवम् संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित परियोजना क्रियान्वयन प्रभाव आंकलन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

4.1 प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार

प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना थाना नं० 156 में स्थित जिला समाहरणालय द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार कुल 638 प्लॉट में से रैयती 619 प्लॉट तथा सरकारी 19 प्लॉट अधिसूचित है। कुल 619 रैयती प्लॉट से संबंधित सर्वेक्षित कुल 139 रैयती परिवार पाये गये हैं जिनके धारित भू–खण्ड पूर्ण/अंश प्रस्तावित भू–अधिग्रहण के अन्तर्गत आ रहा है। अधिकांश रैयतों ने इस भूमि को अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, जबकि कुछ ने केवाला द्वारा प्राप्त किया है (सारणी 3.8.1)। प्रस्तावित निर्माण परियोजना के क्रियान्वयन हो जाने के फलस्वरूप अधिग्रहित भूमि भविष्य में कभी भी रैयत के निजी उपयोग के लिए नही रहेगी। यह एक स्थायी क्षति होगी।



चित्र सं० 4.1.1 मौजा लोहना स्थित परियोजना स्थल एवं प्रभावित होने वाले कृषि भूमि।



चित्र सं० 4.1.2 मौजा लोहना स्थित परियोजना स्थल एवं प्रभावित होने वाले ग्रामीण सड़क।



चित्र सं० 4.1.3 मौजा लोहना स्थित परियोजना क्षेत्र में शोधकर्मी के साथ राजस्व कर्मचारी।



चित्र सं० 4.1.4 मौजा लोहना स्थित परियोजना क्षेत्र में परियोजना निदेशक एवं शोध पदाधिकारी।



चित्र सं० 4.1.5 मौजा लोहना स्थित परियोजना क्षेत्र में परियोजना निदेशक।

4.2 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जंगली निवासी और वन अधिकार का नुकसान

परियोजना क्रियान्वयन से प्रभावित स्थानीय क्षेत्र में कोई अनुसूचित जन–जाति अथवा जंगली निवासी नहीं है। इसलिए अनुसूचित जन–जाति/जंगली निवासी और वन अधिकार का किसी प्रकार का नुकसान प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से नही होगा जैसा कि क्षेत्र भ्रमण में पाया गया है और स्थानीय समुदाय ने भी बताया है।

4.3 सार्वजनिक संसाधन पर आधारित प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के लोहना मौजा अंतर्गत अधिग्रहीत होने वाली भूमि में कहीं भी सार्वजनिक संसाधन प्रभावित नहीं हो रहा है और न ही रैयतों तथा ग्रामीणों के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

4.4 प्रस्तावित अर्जनाधीन राज्य अथवा केन्द्र सरकार से आवंटित भूमि

यहाँ प्रत्यक्ष प्रभावित कोई परिवार नहीं पाया गया है जिसको राज्य अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा कोई ऐसी भूमि आवंटित की गयी है जो प्रस्तावित अधिग्रहण के अन्तर्गत आ रही है।

4.5 तीन या अधिक वर्षों से बाहर रह रहे हितधारी

परियोजना क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष प्रभावित सभी हितधारी अथवा उनका परिवार सामान्यतः गाँव में रहते आ रहे हैं और गाँव से पूर्ण जुड़ाव रखते हैं।

4.6 तीन या तीन से अधिक वर्षों से प्राथमिक आजीविका के लिए निर्भरता

सभी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार पिछले 3 वर्षों या उससे भी अधिक से प्रस्तावित अधिग्रहणार्थ भूमि पर अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक तौर पर निर्भर हैं।

4.7 परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के अप्रत्यक्ष प्रभाव

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि अधिकांशतः अधिकारिक भू–स्वामियों के स्वयं के उपयोग में प्रतिवेदित हुई है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से इन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता नहीं दिखता है।

4.8 उपस्कर एवं उत्पादक संपत्ति

प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों से उनके संपत्ति एवम् उपस्कर से संबंधित आंकड़े भी लिये गये हैं। प्रत्यक्ष प्रभावित भू–स्वामियों के परिवार में पाये गए मुख्य उपस्कर संपत्तियों में कृषि कार्य हेतु पम्प सेट/बिजली मोटर हैं। इसके अलावा मोटर साइकिल, साइकिल, बिजली पंखा, मोटर कार आदि भी उपस्कर के अन्तर्गत पाए गये। उपस्कर संपत्तियों की विवरणी सारणी 4.8.1 में दर्शायी गयी है।

सारणीः 4.8.1 प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों में उपस्कर

क्रम संख्या	उपस्कर	उपलब्धता	
		संख्या	प्रतिशत
1	साईकिल	38	27.33
2	मोटरसाईकिल	98	70.50
3	रिक्शा/ट्रॉली	0	0.00
4	टेम्पू	6	4.31
5	कार/चार पहिया वाहन	11	7.91
6	ट्रैक्टर	4	2.88
7	पावर टिलर	2	1.44
8	पम्प सेट/बिजली मोटर	14	10.07
9	न्लकूप	13	9.35
10	थ्रेसर/हॉर्वेस्टर	0	0.00
11	कूलर	18	12.95
12	बिजली का पंखा	132	94.96
13	अन्य (ए०सी०)	3	2.16

सर्वेक्षित कुल 139 रैयतों में 94.96 प्रतिशत परिवार के पास बिजली का पंखा, 70.50 प्रतिशत के पास मोटरसाईकिल, 27.33 प्रतिशत परिवार के पास साईकिल, 10.07 प्रतिशत के पास पम्प सेट/बिजली मोटर, 12.95 प्रतिशत के पास कूलर, 9.35 प्रतिशत के पास नलकूप तथा 7.91 प्रतिशत के पास कार/चार पहिया वाहन प्रतिवेदित हुए हैं।

अध्याय–5

प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप

मधुबनी जिला का गठन 1972 को हुआ था। यह जिला बिहार के 38 जिलों में से एक है। दरभंगा जिले से अलग होकर एक नये जिले का दर्जा प्राप्त किया। यह जिला दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसका प्रशासकीय मुख्यालय मधुबनी है। मधुबनी जिला अपने विविधता, कला, और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, और इसे मिथिला की राजधानी कहा जाता है। मिथिला पेंटिंग एवं मखाना के पैदावार के वजह से मधुबनी जिला विश्वभर में प्रसिद्ध है। मधुबनी कमला नदी के किनारे बसा हुआ है। यह जिला उत्तर में नेपाल, दक्षिण में दरभंगा, पूरब में सुपौल तथा पश्चिम में सीतामढ़ी जिला से घिरा है। मैथिली तथा हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषाएँ हैं, जबकि बज्जिका/पश्चिमी मैथिली यहाँ की स्थानीय बोली है। यह जिला मूलतः एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, गेहूं, मक्का तथा मखाना आदि है। भारत में मखाना के कुल उत्पादन का 80 प्रतिशत मधुबनी जिला में होता है। मधुबनी जिला के अंतर्गत 5 अनुमंडल, 21 प्रखंड, 399 पंचायत तथा 1110 गाँव है।

मधुबनी जिले में प्रभावित नदियों के नाम कमला, करेह, बलान, भूतही बलान, गेहुंआ, सुपेन, त्रिशुला, जीवछ, कोशी और अधवारा हैं। अधिकांश नदियाँ बरसात के दिनों में उग्र रूप धारण कर लेती है। कोशी नदी जिले कि पूर्वी सीमा तथा अधवारा या छोटी बागमती पश्चिमी सीमा में है।

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के मधुबनी जिले की कुल जनसंख्या 44,87,379 है। इनमें से 23,29,313 पुरूष हैं जबकि 21,58,066 महिलाएं हैं। और ये सब मधुबनी जिले के कुल 8,98,515 परिवार से आते हैं। मधुबनी जिले का औसत लिंगानुपात 926 है जो राज्य औसत 918 से अधिक है जबकि राज्य औसत राष्ट्रीय औसत 940 से काफी कम है।

2011 की जनगणना के अनुसार जिले की शहरी आबादी 3.60 प्रतिशत है जबकि 96.40 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 59.72 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 47.59 प्रतिशत है। साथ ही मधुबनी जिले में शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात 899 है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात 928 है।

मधुबनी जिले में 0–6 वर्ष की आयु के बच्चों की जनसंख्या 8,10,479 है जो जिले की कुल जनसंख्या का 18.06 प्रतिशत है। 0–6 वर्ष की आयु के बीच 4,18,616 पुरूष बच्चे और 3,91,863 महिला बच्चे हैं। इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार मधुबनी का बाल लिंग अनुपात 936 है जो मधुबनी जिले के औसत लिंग अनुपात (926) से अधिक है। मधुबनी जिले की कुल साक्षरता दर 58.62 प्रतिशत है। मधुबनी जिले में पुरूष साक्षरता दर 70.14 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 46.16 प्रतिशत है।

5.1 प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार

व्यापक रूप से प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की सामाजिक श्रेणी के रूप में (1) अनुसूचित जाति (2) अनुसूचित जन–जाति (3) पिछड़ा वर्ग (4) अत्यंत पिछड़ा एवं (5) सामान्य वर्ग लिया गया है जबकि आर्थिक श्रेणी के रूप में (1) बी०पी०एल० एवं (2) ए०पी०एल० लिया गया है। प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की श्रेणी से संबंधित जानकारी पारिवारिक साक्षात्कार के माध्यम से ली गयी है। धार्मिक विचार से भी इनका सर्वेक्षण किया गया है, सभी सर्वेक्षित परिवार हिंदु समुदाय से हैं। जबकि पारिवारिक संरचना को भी अध्ययन के संदर्भ में लिया गया है।

सारणीः 5.1.1 प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की सामाजिक विवरणी

सामाजिक श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	50	35.97%
पिछड़ा वर्ग	27	19.42%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	58	41.73%
अनुसूचित जाति	4	2.88%
कुल सर्वेक्षित रैयत	**139**	**100.00%**

जहाँ तक इन परिवारों के सामाजिक वर्गीकरण का सवाल है, प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों में सामान्य वर्ग से 35.97 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 41.73 प्रतिशत जबकि पिछड़ा वर्ग से भी 19.42 प्रतिशत परिवार प्रतिवेदित हुए। जबकि सबसे कम अनुसूचित जाति से 2.88 प्रत्यक्ष प्रभावित सर्वेक्षित परिवार आ रहे है।

सारणीः 5.1.2 प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की आर्थिक विवरणी

श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
ए०पी०एल०	72	51.80%
बी०पी०एल०	67	48.20%
कुल	**139**	**100.00%**

जहाँ तक इन परिवारों के आर्थिक वर्गीकरण का सवाल है, प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों में ए०पी०एल० से 51.80 प्रतिशत तथा बी०पी०एल० से 48.20 प्रतिशत परिवार सर्वेक्षित हुए हैं।

सारणीः 5.1.3 प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों की पारिवारिक संरचना

क्र० सं०	परिवार का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकल	49	35.25%
2	संयुक्त परिवार	87	62.59%
3	अकेला	3	2.16%
कुल		**139**	**139**

प्रत्यक्ष प्रभावित रैयती परिवारों की पारिवारिक संरचना की जानकारी सर्वेक्षण के माध्यम से ली गयी है। प्रत्यक्ष प्रभावित हितधारी परिवारों में लगभग आधे से अधिक (62.59 प्रतिशत) संयुक्त

परिवार पाये गए जबकि 35.25 प्रतिशत एकल परिवार पाया गया। सर्वेक्षित परिवारो में 2.16 प्रतिशत परिवार अकेला भी पाया गया।

5.2 परियोजना क्षेत्र का जनांकिकीय विवरण

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में कृषि आजीविका का मुख्य साधन है। किसान मुख्य रूप से धान, गेहुँ, तेलहन/दलहन एवं सब्जी पैदा करते है। प्रभावित क्षेत्र के किसान जिनके पास कम जमीन है वो मजदूरी भी करते है एवं ऐसे लोग ज्यादातर अस्थायी रूप से बाहर (दिल्ली, आसाम, पंजाब, नेपाल आदि) मजदूरी करने जाते हैं एवं स्थानीय खेती से जुड़े व्यापक रोजगार के मौसम में वापस आ जाते हैं।

प्रभावित परियोजना स्थल क्षेत्र पूर्णतः कृषि भूमि है जो झंझारपुर अंचल के अन्तर्गत ग्राम–लोहना के रैयतों से संबंधित है। प्रभावित मौजा की जनांकिकीय विवरणी द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, जो निम्नवत् है।

सारणीः 5.2.1 परियोजना क्षेत्र का जनांकिकीय विवरण

क्र० सं०	मौजा	घरों की संख्या	कुल जनसंख्या	पुरुष संख्या	महिला संख्या	0–6 बच्चों की कुल संख्या	पुरुष बच्चों की संख्या	महिला बच्चों की संख्या	साक्षरता दर (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति	
										संख्या	प्रतिशत
1	लोहना	1671	7060	3572	3488	1117	592	525	57.50	952	13.48

www-censusindia-gov-in@2011

लोहना मौजा अंतर्गत घरों की संख्या 1671 है जिसमें 3572 पुरूष तथा 3488 महिला रहती हैं। इस मौजा में अनुसूचित जाति की संख्या 952 है जो 13.48 प्रतिशत है। लोहना मौजा में साक्षरता दर 57.50 प्रतिशत राष्ट्रीय व राजकीय साक्षरता दर से कम है।

5.3 आय एवं गरीबी स्तर

मौजा लोहना के प्रत्यक्ष प्रभावित सर्वेक्षित परिवारों की आर्थिक स्थिति का आंकलन वार्षिक आय के आधार पर किया गया है जिसे सारणी 5.3.1 में दर्शाया गया है।

सर्वेक्षण अध्ययन आधारित प्रतिवेदित कुल श्रोतों से पारिवारिक आय की गणना के अनुसार केवल 13.67 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 60000 रूपये से कम पायी गयी। 33.81 प्रतिशत परिवारों की आय 60000–100000 के बीच पायी गयी। 20.86 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 100000–200000 रुपये के बीच पायी गयी। 5.76 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 500000–1000000 के बीच पायी गयी जबकि 9.35 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 1000000 से अधिक पायी गयी है।

सारणी: 5.3.1 प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय

वार्षिक आय (रू०)	संख्या	प्रतिशत
60000 से कम	19	13.67%
60000–100000	47	33.81%
100000–200000	29	20.86%
200000–500000	23	16.55%
500000–1000000	8	5.76%
1000000 से अधिक	13	9.35%
कुल सर्वेक्षित रैयत	**139**	**100.00%**

5.4 पशुधन/पोल्ट्री

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में सर्वेक्षित रैयत परिवारों में पशुधन के रूप में गाय एवं भैंस पालन आदि पाए गए है। कृषि उपयोग में बैल की भूमिका समाप्त होती पायी गयी है क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान किसी भी परिवार के पास बैल नहीं पाया गया है।

सारणी 5.4.1 परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परिवारों में पाये गए पशुधन एवम् पॉल्ट्री

	संख्या	प्रतिशत
गाय	34	24.46
बैल	0	0
भैंस	11	7.91
बकरी	10	7.19
मुर्गा/मुर्गी	0	0

5.5 कमजोर वर्ग

परियोजना क्षेत्र के प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों में कुछ परिवार गंभीर बिमारी से ग्रसीत तथा कुछ परिवार पैर से विकलांग प्रतिवेदित हुआ।

5.5.1 ऋणग्रस्तता की स्थिति

परियोजना प्रभावित अंचल झंझारपुर के मौजा लोहना के कुल 139 परिवारों में ऋणग्रस्तता की स्थिति पर जानकारी ली गयी है जिसकी विस्तृत विवरणी सारणी: 5.5.1 में प्रस्तुत है।

सारणी: 5.5.1 प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित रैयतों द्वारा लिये गये ऋण की विवरणी

क्र. सं.	भू–स्वामी का नाम	मौजा का नाम	ऋण लेने का कारण	ऋण की राशि	स्रोत
1	सुकन यादव	लोहना	सामाजिक कार्य	300000	बैंक
2	कालीकांत झा	लोहना	कृषि	50000	बैंक
3	सुकुमारी देवी	लोहना	सामाजिक कार्य	30000	महाजन
4	दिगंबर कामती	लोहना	घरेलु खर्च	80000	बैंक
5	अजीत कुमार मिश्रा	लोहना	कृषि	50000	बैंक

क्र. सं.	भू–स्वामी का नाम	मौजा का नाम	ऋण लेने का कारण	ऋण की राशि	स्रोत
6	रेखा देवी	लोहना	घरेलु खर्च	40000	समूह
7	समतोला देवी	लोहना	सामाजिक कार्य	600000	महाजन
8	उदय चंद्र साह	लोहना	पारिवारिक	120000	समूह
9	रूपम कामत	लोहना	घरेलु खर्च	20000	समूह
10	जीवनंदन चौधरी	लोहना	घरेलु खर्च	100000	बैंक
11	ललन चौधरी	लोहना	सामाजिक कार्य	200000	बैंक
12	किशुन कुमार	लोहना	कृषि	50000	बैंक
13	अशोक कुमार कामती	लोहना	सामाजिक कार्य	200000	बैंक
14	प्रमोद राय	लोहना	कृषि	100000	बैंक
15	अशोक राय	लोहना	कृषि	50000	बैंक
16	लक्ष्मी साह	लोहना	कृषि	400000	बैंक
17	जयराम चौपाल	लोहना	घरेलु खर्च	30000	महाजन
18	उदयनाथ मिश्रा	लोहना	कृषि	50000	बैंक
19	शिवलाल साहू	लोहना	कृषि	40000	महाजन
20	तुलुकिया देवी	लोहना	घरेलु खर्च	100000	समूह
21	संतोष साहू	लोहना	कृषि	50000	बैंक
22	सहिन्द्र मुखिया	लोहना	घरेलु खर्च	60000	समूह
23	कौशल्या देवी	लोहना	घरेलु खर्च	20000	समूह
24	श्याम साहू	लोहना	घरेलु खर्च	60000	समूह
25	सरजू साह	लोहना	घरेलु खर्च	200000	समूह
26	परमेश्वर साहू	लोहना	कृषि	50000	बैंक
27	उमानाथ मिश्रा	लोहना	कृषि	30000	महाजन
28	देवेश झा	लोहना	शिक्षा	400000	बैंक

5.6 भूमि उपयोग, आजीविका एवं स्थानीय क्रियाकलाप

5.6.1 भूमि उपयोग

मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखण्ड में कोई भी पर्वतीय क्षेत्र या खनिज क्षेत्र नहीं है। यदि भूमि उपयोग की बात करें तो पता चलता है कि इस जिले की भूमि का उपयोग मुख्य रूप से मौसमी फसल रबी, खरीफ एवं सब्जी के लिए है।

5.6.2 आजीविका

कृषि के अलावा सरकारी/प्राईवेट नौकरी, व्यापार, किराना दुकान एवं मजदूरी कार्य इस क्षेत्र की आजीविका का मुख्य साधन है। प्रत्यक्ष प्रभावित लगभग सभी परिवार कृषि के साथ प्राथमिक व्यवसाय के रूप में जुड़े प्रतिवेदित हुए हैं।

5.6.3 पीने के पानी का स्रोत

प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र झंझारपुर अंचल अंतर्गत परियोजना प्रभावित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की विवरणी निम्नवत् है।

सारणी 5.6.3 पीने के पानी का स्रोत

पानी का स्रोत	संख्या	प्रतिशत
अपना चापाकल	122	87.77%
नल–जल	3	2.16%
निजी बोरिंग	14	10.07%
कुल	**139**	**100.00%**

87.77 प्रतिशत परिवारों के पास चापाकल पेयजल श्रोत के रूप में मुख्य रूप से प्रतिवेदित हुआ है। 10.07 प्रतिशत परिवारों के पास निजी बोरिंग भी है। इसके अतिरिक्त 2.16 प्रतिशत परिवारों में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत "हर घर नल का जल" योजना से भी प्रभावित क्षेत्र के परिवार आक्षादित हैं।

5.6.4 आवासीय परिसर में शौचालय की सुविधा का उपयोग

परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परिवारों के जीवन–यापन में स्वच्छता से जुड़े शौचालय सुविधा एवं इसके उपयोग के चलन से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी है। स्वच्छता अभियान के तहत विशेष रूप से एवम् सामान्य पारिवारिक स्वच्छता के तहत परिवार में शौचालय की सुविधा एवम् इसके उपयोग का बड़ा महत्व है।

सारणी 5.6.4 आवासीय परिसर में शौचालय की सुविधा एवम् उपयोग

शौचालय सुविधा	संख्या	प्रतिशत
हाँ	130	93.53%
नहीं	9	6.47%
कुल	**130**	**93.53%**

एकत्रित आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों (93.53 प्रतिशत) के आवासीय परिसर में शौचालय की सुविधा प्रतिवेदित हुई है। जबकि आज भी सर्वेक्षित 6.47 प्रतिशत परिवार खुले में शौच करते हैं।

5.6.5 अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के बदले यदि पैसा मिले तो प्राप्त धन राशि का प्राथमिकता आधारित संभावित उपयोग

प्रभावित परियोजना क्षेत्र के झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना के सर्वेक्षित प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों में सर्वाधिक (37.50%) व्यवसाय में प्रतिकर भुगतान की राशि का उपयोग को प्रथम प्राथमिकता के रूप में लेते हैं।

सारणी 5.6.5 अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के बदले यदि पैसा मिले तो प्राप्त धन राशि का प्राथमिकता आधारित संभावित उपयोग

प्राप्त राशि का संभावित उपयोग	प्रथम प्राथमिकता	द्वितीय प्राथमिकता	तृतीय प्राथमिकता
कृषि हेतु भूमि खरीद	21.25	42.50	26.25
कृषि में निवेश	12.50	39.48	48.02
घर बनाने में	31.25	56.08	39.02
घरेलू खर्च	12.50	42.88	44.62
शादी–ब्याह	8.75	44.74	35.17
कर्ज भुगतान	2.50	36.44	61.06
बैंक में जमा	23.75	37.25	39.00
व्यावसायिक निवेश	37.50	28.00	34.50
अन्य (शिक्षा)	15.00	45.50	39.50

यह रैयतों के व्यवसायिक गतिविधि में संलिप्तता को प्रमुखता से परिलक्षित करता है। द्वितीय प्राथमिकता के रूप में सर्वाधिक (56.08 प्रतिशत) परिवारों में प्रतिकर भुगतान का घर बनाने हेतु उपयोग की योजना प्रतिवेदित हुई है जो आवासीय जरूरत का परिचायक हो सकता है।

सारणी 5.6.6 अधिगृहीत की जाने वाली भूमि/मकान/संरचना के बदले प्रभावित परिवारों की अपेक्षा

प्रभावित परियोजना क्षेत्र के झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना के सर्वेक्षित प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों से परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण से हो रहे नुकसान के बदले सरकार से क्षतिपूर्ति हेतु अपेक्षा पर अध्ययन दल द्वारा जानकारी एकत्रित की गयी है और इसे सारणी 5.6.6 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 5.6.6 अधिगृहीत की जाने वाली भूमि/मकान/संरचना के बदले प्रभावित परिवारों की अपेक्षा

प्राप्त राशि का संभावित उपयोग	प्रथम प्राथमिकता	द्वितीय प्राथमिकता	तृतीय प्राथमिकता
धनराशि	42.50	36.34	21.16
भूमि/संरचना	15.00	35.00	50.00
दोनों	37.50	42.50	20.00
रोजगार	45.00	30.00	25.00
कौशल विकास	0.00	0.00	20.00

प्रभावित परिवारों की प्राथमिक अपेक्षा रोजगार हेतु 45 प्रतिशत प्रमुखता से प्रतिवेदित हुई है। 42 प्रतिशत परिवारों की प्रथम प्राथमिकता आधारित अपेक्षा धनराशि है जबकि द्वितीय प्राथमिकता आधारित अपेक्षा धनराशि एवं भूमि/संरचना की है।

5.6.7 परियोजना क्षेत्र अंतर्गत प्रभावित रैयतों के घर की श्रेणी

सारणी 5.6.7.1 प्रभावित परिवारों के पास घर की स्थिति का विवरण

क्रम संख्या	घर का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	पक्का	100	71.94
2.	अर्द्धपक्का	35	25.18
3.	कच्चा मकान	4	2.88
कुल		139	100.00

सर्वेक्षित परिवारों में 71.94 प्रतिशत परिवारों के पास पक्का मकान तथा 25.18 प्रतिशत परिवारों के पास अर्द्धपक्का मकान जबकि 2.88 प्रतिशत परिवारों के पास आज भी कच्चा मकान है।

सारणी 5.6.7.2 प्रभावित परिवारों के पेशा का विवरण

क्रम संख्या	पेशा	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	86	61.87
2.	कृषि श्रमिक	18	12.94
3.	बटाई कृषि	1	0.72
4.	सरकारी/प्राईवेट वेतनधारी	22	15.83
5.	व्यवसाय	7	5.04
6.	अन्य	5	3.60
कुल		139	100.00

मौजा लोहना अंतर्गत सर्वेक्षित परियोजना से प्रभावित परिवारों में 61.87 प्रतिशत परिवार आज भी कृषि पर आश्रित है। 15.83 प्रतिशत परिवार सरकारी/पाईवेट नौकरी कर परिवार का भरण–पोषण करते हैं। 12.94 प्रतिशत परिवार कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं जबकि 5. 04 प्रतिशत परिवार व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं।

सारणी 5.6.7.3 प्रभावित परिवारों के शिक्षा स्तर का विवरण

कम संख्या	शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
1.	निरक्षर	17	12.23
2.	साक्षर	14	10.07
3.	प्राथमिक	7	5.04
4.	मिडिल	10	7.19
5.	मैट्रिक	34	24.46
6.	इन्टर	13	9.35
7.	स्नातक	29	20.86
8.	स्नातकोत्तर	14	10.07
9.	पीएचडी	1	0.72
	कुल	139	100.00

सर्वेक्षित 139 परिवारों में सर्वाधिक 24.46 प्रतिशत परिवार मैट्रिक पाये गये। 20.86 प्रतिशत परिवार स्नातक, 9.35 प्रतिशत परिवार इन्टर तथा 10.07 प्रतिशत परिवार स्नातकोत्तर पाये गये जबकि 0.72 प्रतिशत परिवार पीएचडी प्रतिवेदित हुए।

5.6.8 अधिगृहित की जाने वाली भूमि/संरचना के लिए प्रभावित रैयतों की चिताएँ

प्रभावित परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांशतः रैयतों की मुख्य चिंताएँ मुआवजा का मूल्य कम होना है। भूमि की वर्तमान स्थिति तथा उपयोग को देखते हुए पुनः वर्गीकरण करने की आवश्यकता है जिससे रैयतो को कम से कम नुकसान उठाना पड़े।

5.7 स्थानीय आजीविका में योगदान करने वाले कारक

इस क्षेत्र की स्थानीय आर्थिक गतिविधियां एवं आजीविका का प्रधान कारक कृषि एवं कृषि जनित रोजगार है। कृषि, कृषि आधारित छोटे व्यापार, सब्जी उत्पादन, छोटी दुकानें, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, श्रमिक कार्य एवम् स्वरोजगार भी इसमें शामिल हैं।

5.8 सम्बन्ध प्रारूप एवं सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थाएँ

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में न ही कोई सामाजिक–सांस्कृतिक संस्था प्रतिवेदित की गयी न कोई ऐसी संस्था दिखी। अस्थायी तौर पर मौसमी पूजा यथा सरस्वती पूजा, दुर्गा–पूजा, छठ–पूजा, आदि जैसे अवसरों पर लोग मिल–जूल कर पूजा का आयोजन करते हैं परन्तु इसका कोई संस्थागत स्वरूप नही है। सामाजिक संगठन, स्वयं सेवी संस्था, राजनीतिक संगठन, आदि जैसी कोई संस्था इस क्षेत्र में कार्यरत प्रतिवेदित नही हुई।

5.9 प्रशासनिक संस्थान

इस परियोजना क्षेत्र में कोई प्रशासकीय संस्था नहीं पायी गयी।

5.10 राजनैतिक संस्थाएँ

इस क्षेत्र में किसी भी राजनैतिक दल की कोई राजनीतिक इकाई / शाखा कार्यरत नहीं है।

5.11 समुदाय आधारित नागरिक समाज संगठन

स्थानीय समुदाय के अनुसार **जीविका** एक मात्र समुदाय आधारित संगठन है और जीविका के तहत कई स्वयं सहायता समूह (एस० एच० जी०) गठित है और काम कर रहे है।

5.12 स्वास्थ्य सुविधाएं

प्रभावित परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर प्रभावित मौजा में स्वास्थय उपकेन्द्र तथा आंगनबाड़ी केन्द्र है। गंभीर आकस्मिक बीमारी की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झंझारपुर तथा जिला अस्पताल मधुबनी जाते हैं।

अध्याय– 6

सामाजिक प्रभाव आँकलन

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अन्तर्गत प्रस्तावित भू–अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्र के जनांकीय एवं सामाजिक कारकों से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाएँ भी इकट्ठा की गयी है। साथ ही परियोजना क्रियान्वयन से पड़ने वाले उन प्रभावों को जिनसे सामान्य जन–जीवन प्रभावित हो सकता है उससे संबंधित जानकारी भी एकत्र की गयी है। संग्रह किये गये आँकड़ों के विश्लेषण पर आधारित तथ्य अध्ययन प्रतिवेदन के इस अध्याय में प्रस्तुत किये गये हैं।

6.1 प्रभाव पहचान का प्रारूप एवं दृष्टिकोण

प्राथमिक के साथ–साथ द्वितीयक आँकड़ा स्रोतों जैसे जनगणना रिपोर्ट 2011, पथ निर्माण विभाग के प्रकाशन, भू–अर्जन विभाग के प्रकाशन, बिहार सरकार के स्थानीय सरकारी कार्यालय, गाँव के राजस्व कर्मचारी से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों से संरचित साक्षात्कार अनुसूची पर सूचना ली गयी है साथ ही साथ गाँव के स्थानीय समुदाय के अन्य लोगों से भी सूचनाएँ इकट्ठा की गयी हैं। गाँव के स्तर पर तिथि और स्थान तय करने के बाद केन्द्रीकृत समूह चर्चा (एफ.जी.डी.) के भी आयोजित किये गये हैं जिनसे महत्वपूर्ण संदर्भित जानकारी प्राप्त की गयी है।

स्थानीय लोगों के जीवन–यापन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर परियोजना कियान्वयन एवम् प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के प्रभाव से संबंधित जानकारी एकत्रित की गयी है। मुख्य प्रभावों पर ग्रामीणों के साथ केन्द्रीकृत समूह चर्चा के लिए एक आम जगह पर इकट्ठा हो परियोजना क्रियान्वयन एवम् भूमि अधिग्रहण पर केन्द्रित दो–तरफा बातचीत एवं विस्तार से चर्चाएँ की गई। ग्रामीण समुदाय को परियोजना से संबंधित प्रत्येक पहलु पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। उन्हें परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने के लिए आग्रह किया गया था।

प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की प्रतिक्रियाओं एवम् अध्ययन दल द्वारा आयोजित केन्द्रीकृत समूह चर्चा के निष्कर्षो और अवलोकन के आधार पर प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष प्रभावों का आंकलन किया गया है। परियोजना निर्माण के चरणवार यथा निर्माण पूर्व की स्थिति, निर्माणान्तर्गत एवम् निर्माण के पश्चात् के प्रभावों के आंकलन किये गए हैं।

6.2. निर्माण पूर्व अवस्था

प्रस्तावित परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना से मौजा लोहना के स्थानीय समुदाय प्रभावित होंगे। एक तरफ प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों की जोत की भूमि, आवासीय भूमि परियोजना क्रियान्वयन के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है,

वहीं दूसरी तरफ योजना क्रियान्वयन के फलाफल भी होंगे। प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों के द्वारा भूमि का उपयोग कृषि कार्य में हो रहा है।

6.3 निर्माण के दौरान पड़ने वाले प्रभाव

मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी भराई एवं निर्माण कार्य से जुड़े अन्य क्रिया–कलापों के कारण वायु में तात्कालिक अत्यधिक धूल–कण के संग्रहीत हो जाने से स्थानीय समुदाय को अस्थायी परेशानी एवं स्वास्थ्य जनित दूसरी समस्याएँ हो सकती है। संरचना निर्माण के दौरान स्थानीय बच्चे एवं जानवर के साथ छोटी–मोटी दुर्घटना होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है जिससे सुरक्षा की जरूरत होगी। बाह्य निर्माण एजेंसी के स्थानीय अस्थायी प्रवास से स्थानीय समुदाय की सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक परिस्थितियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं जिससे सुरक्षा की आवश्यकता होगी। साथ ही निर्माण कार्य होने से स्थानीय श्रमिकों को निर्माण कार्य में रोजगार के नए एवं अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे स्थानीय समुदाय की आर्थिकी में अपेक्षित बेहतरी की संभावना बन सकती है।

6.4 निर्माण के बाद पड़ने वाले प्रभाव

परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् सम्बंधित मौजा के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास की सम्भावना प्रतीत हो रही है। औद्योगिक केन्द्र स्थापना के पश्चात् नए व्यापारिक क्रिया–कलापों के विकल्प स्थानीय लोगों को प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही यातायात के नए साधन व इससे संबंधित कारोबार की सम्भावना बढ़ेगी। सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाता सम्बंधित कई प्रकार के रोज़गार की सम्भावना बढ़ेगी। नए विद्यालय, उच्च शिक्षा से सम्बंधित नए संस्थान एवं रोजगार प्रदत व्यवसायिक संस्थान के प्रारम्भ होने की प्रबल सम्भावना है। इससे इस क्षेत्र में साक्षरता दर के बढ़ने के साथ–साथ शिक्षा के गुणात्मक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना निर्माण के पश्चात् स्वास्थ्य सम्बंधित सुविधाओं में भी सुधार की प्रबल सम्भावना है। जिसका लाभ सम्बंधित मौजा के निवासियों को प्राप्त होगा। औद्योगिक केन्द्र स्थापना के पश्चात् किसानों को भी अपने उत्पाद के विक्रय के लिए नए प्रतियोगी बाजार प्राप्त होने की सम्भावना है। साथ ही डेयरी उत्पादन को भी नए बाजार मिलने की सम्भावना है।

6.5 परियोजना चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में पड़ने वाले प्रभाव

परियोजना क्रियान्वयन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में स्थानीय समुदाय पर पड़नेवाले प्रभावों की जानकारी को प्रभाव के क्षेत्र एवम् प्रभाव की दिशा के रूप में अगले खण्डों में प्रस्तुत किया गया है।

6.5.1 आर्थिक प्रभाव

परियोजना के आर्थिक प्रभाव को परियोजना के विभिन्न चरणों में स्थानीय समुदाय की दृष्टि से देखने की कोशिश की गयी है। मुख्य रूप से परियोजना से पड़नेवाले प्रभावों को परिमाणात्मक की जगह दिशात्मक रूप में लिया गया है जैसा कि सारणी 6.5.1 में दर्शाया गया है।

सारणी: 6.5.1 परियोजना क्रियान्वयन के आर्थिक प्रभाव

	आर्थिक प्रभाव	स्थिति								
		निर्माण पूर्व			निर्माण के दौरान			निर्माण के पश्चात्		
		नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक
1	खेती संबंधी गतिविधियों पर प्रभाव	1.44	93.53	5.04	93.53	1.44	5.04	21.58	28.78	49.64
2	गैर कृषि वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रभाव	3.60	89.93	6.47	92.81	2.88	4.32	14.39	7.19	78.42
3	दैनिक मजदूरी से होने वाले आय पर प्रभाव	7.19	92.09	0.72	28.78	14.39	56.83	10.79	17.99	71.22
4	बटाईदार का रोजगार से जुड़ा प्रभाव	2.88	94.24	2.88	79.14	14.39	6.47	14.39	79.14	6.47
5	कार्य क्षेत्र में बदलाव से प्रभाव	1.44	89.93	8.63	50.36	43.17	6.47	14.39	28.78	49.64
6	कृषि उत्पाद विपणन पर प्रभाव	3.60	92.81	3.60	86.33	6.47	7.19	7.19	14.39	78.42
7	गैर कृषि व्यवसाय/उद्योग पर प्रभाव	6.47	89.93	3.60	89.93	7.19	2.88	7.19	14.39	78.42
8	डेयरी/पॉल्ट्री उत्पाद के विपणन पर प्रभाव	3.60	92.09	4.32	57.55	35.97	6.47	3.60	7.19	89.21
9	भूमि कीमत पर प्रभाव	5.76	88.49	5.76	28.78	43.17	28.06	7.19	8.63	84.17
10	पुनर्वास हेतु आर्थिक पैकेज/राशि/मुआवजा का प्रभाव	3.60	86.33	10.07	35.97	50.36	6.47	7.19	14.39	78.42

सारणी 6.5.1 में परियोजना के आर्थिक प्रभाव की दिशा को अलग–अलग परियोजना चरणों में प्रतिवेदित किया गया है। परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में स्थानीय समुदाय पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव के अलग–अलग आयामों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल मिलाकर परियोजना क्रियान्वयन के पश्चात कोई सार्थक नुकसान नहीं होगा सिवाय कृषि उत्पादक भूमि के नुकसान के। अपितु समग्रता से आर्थिकी में सकारात्मकता कि अपेक्षाएँ प्रतिवेदित हुई हैं। अतः बाजार दर से प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों को प्रतिकर भुगतान से एक लाभकारी आर्थिक तरलता भी प्राप्त होगी।

6.5.2 आवागमन के साधन पर प्रभाव

वर्त्तमान में परियोजना प्रभावित क्षेत्र में आवागमन हेतु सार्वजानिक लोक यातायात साधन उपलब्ध हैं। परियोजना प्रभावित स्थानीय समुदाय के साथ विस्तार से इस परियोजना का आवागमन पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा हुई और उनके द्वारा प्रतिवेदित विभिन्न चरणों के परियोजना प्रभाव सारणी 6.5.2 में प्रस्तुत किये गये हैं।

सारणी: 6.5.2 परियोजना क्रियान्वयन के स्थानीय यातायात पर प्रभाव

	यातायात पर प्रभाव	स्थिति								
		निर्माण पूर्व			निर्माण के दौरान			निर्माण के पश्चात्		
		नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक
1	दूरियों में कमी	10.79	86.33	2.88	64.75	7.19	28.06	14.39	13.67	71.94
2	समय की बेहतर और उत्पादक बचत	7.19	89.93	2.88	68.35	25.18	6.47	6.47	7.19	86.33
3	वृद्धजनों के आवागमन पर प्रभाव	3.60	93.53	2.88	79.14	14.39	6.47	3.60	14.39	82.01
4	महिलाओं के आवागमन पर प्रभाव	5.76	71.22	23.02	82.73	7.19	10.07	13.67	7.19	79.4
5	दिव्यांगों के आवागमन पर प्रभाव	0.00	93.53	6.47	78.42	14.39	7.19	14.39	79.14	6.47

जब स्थानीय समुदाय से इस मुद्दे पर विचार लिये गये तो अधिकांश लोगों ने बताया औद्योगिक केन्द्र निर्माण होने से बच्चों को अच्छी शिक्षा, अस्पताल तथा रोजमर्रा की वस्तुएँ आदि के लिए शहर तक जाना सुगम हो जाएगा तथा उत्पादक समय की भी बचत होगी एवं कमजोर वर्ग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना–जाना आसान हो जाएगा। आवागमन से जुड़े परियोजना प्रभावों की जानकारी जिन बिन्दुओं पर ली गयीं वो इस प्रकार हैं:– दूरियों में कमी, समय की बेहतर और उत्पादक बचत, वृद्धजनों के आवागमन पर प्रभाव, महिलाओं के आवागमन पर प्रभाव, दिव्यांगों के आवागमन पर प्रभाव आदि। स्पष्ट रूप से महिलाओं एवं कमजोर वर्गो के आवागमन पर परियोजना क्रियान्वयन के सकारात्मक प्रभाव प्रतिवेदित हुए हैं।

6.5.3 सामाजिक प्रभाव

वर्तमान परियोजना का क्रियान्वयन यहाँ के स्थानीय समुदाय को बड़े पैमाने पर लाभ पहुँचाएगा। ऐसा सर्वेक्षण में प्रतिवेदित हुआ है। प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो जाने से स्थानीय समुदाय के सामाजिक व आर्थिक गतिरोध दूर होंगे। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य व उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होंगे। विभिन्न चरणों में स्थानीय समुदाय पर परियोजना के पड़नेवाले अलग–अलग सामाजिक प्रभावों पर स्थानीय समुदाय (प्रत्यक्ष प्रभावित परिवार सहित) से चर्चा की गयी और उनके अनुसार प्रभावों के प्रकार (नकारात्मक, तटस्थता एवम् सकारात्मकता) पर जानकारी ली गयी जिस पर आधारित सारणी 6.5.3 प्रस्तुत है।

सारणी: 6.5.3 परियोजना क्रियान्वयन के सामाजिक प्रभाव

	सामाजिक प्रभाव	स्थिति								
		निर्माण पूर्व			निर्माण के दौरान			निर्माण के पश्चात्		
		नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक
1	शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुँच पर प्रभाव	5.76	86.33	7.91	79.14	14.39	6.47	7.19	14.39	78.42
2	सामाजिक समरसता पर प्रभाव	6.47	79.14	14.39	86.33	7.19	6.47	0.00	13.67	86.33
3	सामाजिक संरचना पर प्रभाव	5.04	86.33	8.63	82.73	10.79	6.47	0.00	6.47	93.53
4	सामाजिक संस्कृति व्यवहारों पर प्रभाव	4.32	82.73	12.95	82.01	10.79	7.19	7.19	13.67	79.14
5	लैंगिक बराबरी पर प्रभाव	2.88	86.33	10.79	84.17	7.19	8.63	7.19	6.47	86.33
6	सामाजिक अपराध पर प्रभाव	6.47	93.53	0.00	85.61	7.19	7.19	7.19	14.39	78.42
7	महिला हिंसा पर प्रभाव	5.76	85.61	8.63	86.33	7.19	6.47	6.47	7.19	86.33
8	अपराध नियंत्रण पर प्रभाव	2.88	86.33	10.79	93.53	6.47	0.00	0.00	6.47	93.53
9	प्रव्रजन पर प्रभाव	3.60	94.24	2.88	89.93	7.19	2.88	0.00	6.47	93.53
10	विस्थापन का प्रभाव	6.47	86.33	7.19	93.53	6.47	0.00	6.47	7.19	86.33
11	सामाजिक/स्वयंसेवी/राजनीतीक संगठन पर प्रभाव	2.88	85.61	11.51	79.14	14.39	6.47	1.39	6.47	79.14

सामाजिक प्रभाव से जुड़े भिन्न–भिन्न आयामों यथा शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुँच पर प्रभाव, सामाजिक समरसता पर प्रभाव, सामाजिक संरचना पर प्रभाव, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारों पर प्रभाव, लैंगिक बराबरी पर प्रभाव, सामाजिक अपराध पर प्रभाव, महिला हिंसा पर प्रभाव, अपराध नियंत्रण पर प्रभाव, प्रवजन पर प्रभाव, विस्थापन का प्रभाव, सामाजिक/स्वयंसेवी/राजनीतीक संगठन की गतिविधियों के प्रभाव पर अध्ययन दल द्वारा अलग–अलग विस्तार से चर्चा कर जानकारी ली गयी। समुदाय के अधिकांश प्रतिभागियों ने परियोजना क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में पड़ने वाले सामाजिक प्रभाव पर अपनी राय रखते हुए परियोजना क्रियान्वयन के सकारात्मक परिणामों पर मुहर लगाई है।

6.5.4 स्वास्थ्य पर प्रभाव

परियोजना निर्माण का समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में अधिकांश का मानना है कि वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचना कठिन होता है। औद्योगिक केन्द्र स्थापना होने से स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। निर्माण के दौरान सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य की तात्कालिक समस्याएँ हो सकती हैं ऐसा लोगों का मानना है। स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना प्रभावों की जानकारी जिन बिन्दुओं पर ली गयी वो इस प्रकार है:–स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की पहुँच पर प्रभाव, सामुदायिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।

सारणीः 6.5.4 परियोजना क्रियान्वयन का स्वास्थ्य पर प्रभाव

	स्वास्थ्य पर प्रभाव	स्थिति								
		निर्माण पूर्व			निर्माण के दौरान			निर्माण के पश्चात्		
		नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक
1	स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं की पहुँच पर प्रभाव	7.19	86.33	6.47	57.55	21.58	20.86	15.97	13.17	70.86
2	सामुदायिक स्वास्थ्य पर प्रभाव	14.39	79.14	6.47	43.17	50.36	6.47	2.78	10.36	86.86

6.5.5 पर्यावरण पर प्रभाव

वर्तमान स्थिति, जो परियोजना निर्माण के पूर्व की स्थिति है, जिसमें औद्योगिक केन्द्र स्थापना के लिए अभी निर्माण कार्य नही हो रहा है, इसलिए अभी प्राकृतिक संसाधनों की क्षति नही हैं चारों तरफ हरियाली होने के कारण गाँव में प्रदूषण कम है। इसके अलावे परियोजना क्रियान्वयन के कारण प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर सार्थक ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा, श्मशान पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा जैसा कि स्थानीय रैयतों ने बताया कि हमलोग परिवार को अपने ही खेत में दाह संस्कार करते हैं तथा उपलब्ध पेंड़ से जलाया जाता है जो परियोजना निर्माण के बाद एक स्थायी क्षति होगी। तालाब और खेल मैदान पर किसी तरह का कोई नया प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा स्थानीय समुदाय का मानना है। परियोजना पूर्ण हो जाने के बाद पेड़ के कटने से पर्यावरण दूषित होने लगेगा। परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कर नकारात्मक प्रभाव को नगण्य किया जा सकता है।

सारणीः 6.5.5 परियोजना क्रियान्वयन के पर्यावरण पर प्रभाव

	पर्यावरण पर प्रभाव	स्थिति								
		निर्माण पूर्व			निर्माण के दौरान			निर्माण के पश्चात्		
		नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक	नकारात्मक	तटस्थ	सकारात्मक
1	प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर प्रभाव	0	86.33	13.67	79.14	7.19	20.86	93.53	2.88	3.60
2	चरागाह	0	93.53	6.47	86.33	7.19	6.47	28.78	57.55	13.67
3	कब्रिस्तान/श्मशान	0	86.33	13.67	97.12	2.88	0.00	86.33	7.19	6.47
4	तालाब	0	79.14	20.86	93.53	2.88	3.60	50.36	35.97	13.67
5	खेल मैदान	0	86.33	13.67	94.24	2.88	2.88	13.17	50.36	36.47

अध्याय–7

अधिग्रहण की लागत, लाभ एवम् अनुशंसा

जनोपयोगी एवम् लोकहित में ऐसे किसी भी संरचना विकास योजना की लागत एवम् उसके फलाफल लाभ की सीधी और गणितीय गणना सहज नही है, क्योंकि लागत एवम् लाभ दोनों ही प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष तथा तात्कालिक एवम् दूरगामी होते हैं। प्रत्यक्ष लागत एवम् लाभ की गणना संभव है जबकि अप्रत्यक्ष लागत–लाभ को समझा जा सकता है।

पारिवारिक साक्षात्कार के साथ ही एफ०जी०डी० के माध्यम से स्थानीय समुदाय से परियोजना की लागत एवम् उसके फलाफल लाभ की जानकारी अध्ययन दल ने ली है और उसके विश्लेषण पर आधारित तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र परियोजना के पूर्ण हो जाने से आधारभूत संरचना निर्माण एवम् विकास से रोजगार का सृजन होगा तथा परियोजना प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। जीवन के हर क्षेत्र में यथा, आर्थिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, मनोरंजन आदि का लाभ मिलेगा।

7.1 परियोजना की सामाजिक लागत

वर्त्तमान परियोजना के अन्तर्गत पड़नेवाले गाँवों का अस्तित्व पहले से है। प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र लोहना मौजा में अवस्थित है, जिसके निर्माण हेतु कुल 252.23 एकड़ भूमि अधिगृहित किये जाने का प्रस्तावहै। जिसमें 242.91 एकड़ रैयती भूमि है। शेष अनाबाद सर्वसाधारण एवं अनाबाद बिहार सरकार की 9.32 एकड़ भूमि है।

प्रस्तावित अधिग्रहण के तहत सिंचित उपजाऊ, विकासशील एवं आवासीय भूमि जो कुल सर्वेक्षित 139 रैयतों से संबंधित है, जिसको अधिगृहित कर स्थायी तौर पर गैर कृषि उपयोग में लेने का प्रस्ताव है।

कृषि उत्पादन, आवासीय भूमि एवम् उससे जुड़े अन्य गतिविधियों के लिए उस भूमि से संबंधित रैयत की यह प्रत्यक्ष एवम् स्थायी क्षति होगी। इस कृषि भूमि का (i) मूल्य, (ii) वर्तमान समय में कृषि उत्पाद का मूल्य (iii) और ऐसे ही अन्य जुड़े बिन्दुओं पर आधारित परियोजना की प्रत्यक्ष सामाजिक लागत की गणना की गयी है। अधिग्रहण हेतु भूमि की लागत का आंकलन भू–स्वामियों द्वारा प्रतिवेदित स्थानीय बाजार मूल्य दर पर किया गया है। कृषि उत्पादन का मूल्य निर्धारण एक पूरे वर्ष के लिए बाजार मूल्य पर किया गया है। जाहिर है, इन प्रत्यक्ष सामाजिक लागतों के अलावे भी योजना क्रियान्वयन की ऐसी कई अप्रत्यक्ष सामाजिक लागत आयेंगी, जिनकी वास्तविक गणितीय गणना करना कठिन है।

अधिग्रहीत होने वाली भूमि का कुछ भाग मुख्य सड़क के किनारे होने के कारण आवासीय तथा व्यवसायिक बताया गया है जिसका मूल्य प्रति कठा 15 लाख रूपया एवं अधिकांश अधिगृहित होने वाली भूमि कृषि सिंचित है जिसका मूल्य प्रति कठा 2 लाख रूपया रैयतों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। अधिग्रहीत होने वाली कुछ भूमि पर पेंड–पौधा भी प्रतिवेदित हुआ है जिसका विभागीय भौतिक सत्यापन के पश्चात उचित मुआवजा दिया जा सकता है। सिंचित कृषि भूमि का उत्पादकता मूल्य प्रति एकड़ 50–60 हजार रूपया रैयतों के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है।

7.2 परियोजना का लाभ

परियोजना के निरंतर एवं कुल सामाजिक लाभ के वास्तविक मूल्य को आँकना काफी कठिन कार्य है और परियोजना क्रियान्वयन के पूर्ण होने पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। फिर भी स्थानीय समुदाय एवम् लाभुकों की समझ से जो संभावित फायदे बताए गये हैं उसके अनुसार भूमि–अधिग्रहण के प्रभाव की तीव्रता को देखते हुए ***"भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013" एवं "बिहार भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014"*** के अनुसार पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के मापदंडो के आधार पर परियोजना के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास किया जाना है जिसमें मुख्य रूप से रैयतों को उचित प्रतिकर का समय से भुगतान शामिल है।

इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् न सिर्फ स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि इस प्रखंड व जिला के साथ साथ पूरा राज्य लाभान्वित होगा। इस परियोजना के द्वारा लोगों को होनेवाले प्रमुख लाभ निम्नवत होंगे जैसा कि स्थानीय समुदाय ने सुझाये हैं।

- सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाता सम्बंधित कई प्रकार के रोज़गार की सम्भावना बढ़ेगी।
- स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे धान, आलू, गेहूँ, सब्जी, आदि को स्थानीय बाजार मिलेगा जिससे समुदाय की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना बनेगी, रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- औद्योगिक केन्द्र स्थापित होने से स्थानीय भूमि की मूल्य में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
- कुल मिलाकर समुदाय के दैनिक जीवन–यापन में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा।

7.3 लोगों के पहचान एवं पते पर प्रभाव एवं प्रतिकर में देरी के कारण लोगों में व्याप्त चिंताएँ–

अध्ययन दल द्वारा औद्योगिक केन्द्र निर्माण परियोजना क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया की आवश्यक भू–अधिग्रहण से विस्थापन की संभावना नहीं है। इस प्रकार परियोजना क्रियान्वयन से विस्थापन नहीं होने से लोगों के पहचान एवम् पते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रतिकर का मूल्य कम होना तथा भुगतान में देरी से प्रभावित रैयतों में असंतोष बढ़ता है और ऐसी गंभीर चिन्ता प्रत्यक्ष प्रभावित समुदाय द्वारा भी व्यक्त की गयी है।

सारणी: 7.3.1 अधिगृहित की जाने वाली भूमि/मकान/संरचना संबंधित मुख्य चिन्ता

अधिगृहित की जाने वाली भूमि संबंधित रैयतों की मुख्य चिन्ता	रैयतों की संख्या	प्रतिशत
प्रतिकर मिलने में देरी	22	15.83
प्रतिकर मूल्य का कम होना	117	84.17
कुल सर्वेक्षित रैयत	**139**	**100.00**

सभी सर्वेक्षित प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों में 84.17 प्रतिशत ने प्रतिकर मूल्य का कम होना बताया है जबकि 15.83 प्रतिशत परिवारों ने प्रतिकर मिलने में देरी को लेकर चिन्ता प्रतिवेदित की है।

7.4 प्रतिकर एवं पुर्नस्थापन

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि जिन रैयत परिवारों की है वो मौजा लोहना से सम्बन्धित हैं। इस प्रस्तावित भू–अधिग्रहण के अन्तर्गत कुल 252.23 एकड़ में से 242.91 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

प्रस्तावित अधिग्रहण के अन्तर्गत खेती की जानेवाली पूर्ण/अंश भू–खण्डों का अधिग्रहण हो रहा है। जिसपर इस अधिग्रहण से नकारात्मक प्रभाव दिखता है। यहाँ प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों को नियमानुसार प्रतिकर देने के साथ–साथ उनके जीविकोपार्जन के लिए भी समुचित व्यवस्था करना पर्याप्त होगा ऐसा माना जा सकता है।

7.5 सामाजिक नकारात्मक प्रभाव (SIMP) को कम करने की योजना

अध्ययन के दरम्यान पाया गया कि प्रस्तावित भू–अर्जन हेतु कुल 252.23 एकड़ में से 242.91 एकड़ रैयती भूमि कृषि, विकासशील एवं आवासीय है वहाँ उक्त भूमि पर कृषि कार्य ही संपादित किए जा रहे है, जो कि सिंचित कृषि क्षेत्र के अर्न्तगत आती है। उपयोग भी कृषि उत्पादन के लिए ही हो रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र में औद्योगिक केन्द्र स्थापित होने के कारण संलग्न भूमि का भविष्य में व्यावसायिक इस्तेमाल से इन्कार नही किया जा सकता है।

प्रस्तावित अधिग्रहण के तहत लोहना मौजा के अधिकांश कृषि भूमि के अधिगृहीत होने की सम्भावना है। ऐसी परिस्थिति में कृषकों को रोजगार सम्बंधित समस्या उत्पन्न होगी। साथ ही कृषि भूमि पूर्ण रूपेण अधिगृहीत होने के कारण कृषकों को रोजगार के विकल्प तथा उन्हें स्थापित करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा करनी होगी। ताकि उनके व परिवार के लोगों का जीवन–यापन सुचारु रूप से चल सके।

नाकारात्मक प्रभावों को न्यून करने के लिए निम्नांकित कदम सरकार द्वारा लिए जा सकता हैः–

1. भूमिहीन हो रहे रैयतों के सदस्यों को उनके योग्यता व कुशलता के अनुसार रोजगार मुहैया कराना।
2. बेरोजगार नौजवानों खास कर महिलाओं को उचित प्रशिक्षण दे कर औद्योगिक केन्द्र में आनेवाले औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मुहैया कराना। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत इस क्षेत्र के लोगों को औद्योगिक केन्द्र के विनिर्माण सम्बंधित कार्यों में संलग्न करना।
3. स्थानीय रैयतों तथा ग्रामीणों के सुविधानुसार शव–दाह केन्द्र स्थापित करना।
4. बाजार दर से प्रभावित रैयतों को मुआवजा देना।
5. परियोजना क्षेत्र अंतर्गत तालाब तथा पेंड लगाकर पर्यावरण को संतुलित करना।

प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना

प्रभाव के प्रकार	प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना
उपजाऊ कृषि भूमि का नुकसान	सभी रैयतों की मुख्य चिंता भूमि की दर को लेकर है, साथ ही भूमि के मूल्य को अद्यतन करते हुए बाजार भाव पर प्रतिकर की भुगतान करने की माँग की गयी है। अनुसंधान दल का सुझाव है भूमि मालिकों को भूमि अर्जन, "पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) अधिनियम 2013 एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियमावली, 2014" के प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जाए।
भूमि के प्रकार का उचित वर्गीकरण	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के उचित वर्गीकरण का मुद्दा क्षेत्र भ्रमण एवं डेटा संग्रहण के दौरान उभर कर सामने आया है। प्रतिकर के संवितरण से पहले प्रतिकर की कुशल गणना एवं भूमि का उचित वर्गीकरण की जाए।
आय की हानि	प्रतिकर के अलावा भूमि मालिकों को कृषि भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाले आय के संभावित नुकसान के लिए भू–अर्जन विभाग को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान करना चाहिए।

प्रभाव के प्रकार	प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना
घर, पेड़ तथा सिचाई सरंचना का नुकसान	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची (परिशिष्ट–1) एवं अनुसंधान दल के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान निम्नलिखित भूमि का अर्जन किया जाना है । मौजा–लोहना अंतर्गत पेंड़ तथा बोरिंग/पंपसेट के अधिगृहित होने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। ***(नोट–भू–अर्जन पदाधिकारी स्वयं अपने स्तर से देखकर निर्णय लेना चाहेगें)***
अत्यधिक कमजोर समूह (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे, महिलाएँ, गंभीर रूप से बीमार एवं दिव्यांग)	प्रस्तावित परियोजना से प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों में ज्यादातर भूमि के मालिक है अतः भूमि अर्जन, "पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013 एवं "बिहार भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियमावली 2014" के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन हो। परियोजना से होने वाली प्रत्यक्ष हानि के लिए मौद्रिक भुगतान के अलावा, अत्यधिक संवेदनशील समूह के लिए विशेष सहायता/सहायता प्रदान की जानी चाहिए जैसे कि प्रभावित परिवार के कम–से–कम एक सदस्य को श्रम कानून के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के मुकाबले या अधिक दर से रोजगार देने के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अन्य उपाय निम्नलिखित है– • समूहों के लिए अन्य व्यवसाय के अवसरों की खोज होनी चाहिए • ऋण सुविधाओं का विस्तार • समर्पित शिविरों के माध्यम से प्रतिकर का भुगतान सर्वेक्षित रैयतों में कुछ दिव्यांगता तथा गंभीर रोग से ग्रसित परिवार प्रतिवेदित हुए हैं। सर्वेक्षण के दौरान कुछ प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारों ने भूमिहीन होने की संभावना प्रकट की थी। इसका सत्यापन भू–अर्जन कार्यालय अपने स्तर से करने के पश्चात RAFCTLARR 2013 व BRFCTLARR 2014 के अध्याय 6 के तहत उचित प्रतिकर के साथ–साथ मिलने वाली अन्य सहायता भी मुहैया कराए।
जल संरक्षण	लखनदेई नदी के रूप में नैसर्गिक जल स्रोतों का बहाव तथा तालाब संचयन के रूप में देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में इन स्रोतों का संरक्षण अति आवश्यक है। ग्रामीणों के अनुसार परंपरागत रूप से इसके उपयोग को भी संरक्षित करना आवश्यक है। अतः इस नैसर्गिक जल स्रोतों का संचयन व उपयोग ग्रामीणों के लिए यथावत रहे।
सार्वजनिक चारागाह	इस क्षेत्र के लगभग सभी कृषक पशुपालन से जुड़े हैं। इन पशुओं का आहार मुख्य रूप से चारागाह पर ही निर्भर है। ग्रामीणों ने इसके अधिग्रहण की

प्रभाव के प्रकार	प्रस्तावित न्यूनीकरण योजना
	संभावना व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में पशुओं के चारा की समस्या होगी। अतः पशुओं के लिए चारागाह की भी व्यवस्था की जाए।
सार्वजनिक स्वास्थ्य	इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा का घोर अभाव है। ग्रामीणों की माग है कि इनके क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा बहाल किया जा सकता है।
आवागमन संबंधित आशंका	ग्रामीणों द्वारा एक आशंका व्यक्त की गयी है कि औद्योगिक केन्द्र स्थापना द्वारा अधिगृहित क्षेत्र को चारदिवारी कर दी जाएगी। जबकि अधिग्रहीत होने वाले क्षेत्रों में कई ग्रामीण सड़क भी है, जिससे इनके आवागमन में कठिनाई उत्पन्न होगी।
स्थानीय शिविर द्वारा कागजी करों का निष्पादन।	ग्रामीणों की यह मांग है कि अधिग्रहण सम्बंधित कागजी कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर एक शिविर लगाकर कार्यो का निष्पादन किया जाए।
सामाजिक प्रभाव प्रबन्धन योजना और शिकायत निवारण की निगरानी	कुछ स्वयं सेवी संस्था और बाहरी निगरानी इकाईयों को सहायता करने के लिए संलग्न होना चाहिए। प्रभावित परिवारों से परियोजना से संबन्धित चिंताओ, शिकायतों और सुझावों को प्राप्त करने और उनका निष्पादन करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

अध्याय–8

लोक–सुनवाई एवम् निष्कर्ष

संस्थान द्वारा प्रस्तावित भू–अधिग्रहण से संबंधित जिला कार्यालय को समर्पित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट) पर *"भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013"* एवं *"बिहार भू–अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014"* (भारत सरकार गजट भाग 2, उपभाग–1, सितम्बर 27, 2013) के प्रावधान 11 (3) के आलोक में जिला समाहरणालय, मधुबनी के ज्ञापांक–908, दिनांक–27.08.2025 द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार दिनांक–18.09.2025 को 3.00 बजे अपराह्न को निर्धारित स्थान पंचायत सरकार भवन लोहना, में मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से संबंधित लोक–सुनवाई आयोजित हुई। अध्ययन दल से परियोजना निदेशक डॉ० अवधेश कुमार एवं शोध पदाधिकारी डॉ० रणधीर प्रताप सिंह लोक सुनवाई में शामिल हुए। इनके साथ ही स्थानीय समुदाय के प्रत्यक्ष प्रभावित एवं अप्रत्यक्ष प्रभावितों के परिवार शामिल हुए जिनकी विस्तृत विवरणी पृष्ठ संख्या 69 एवं 70 में संलग्न है।



चित्र–8.1.1 जन–सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित, परियोजना निदेशक, पदाधिकारीगण एवं शोधकर्मी।

लोक सुनवाई बैठक की अध्यक्षता डॉ० अवधेश कुमार परियोजना निदेशक अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना के द्वारा किया गया ।

बैठक की शुरूआत में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के परियोजना निदेशक डॉ० अवधेश कुमार, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना के द्वारा अध्ययन के औचित्य और अध्ययन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट) की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गयी।



चित्र सं०–8.1.2 जन–सुनवाई कार्यक्रम में परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए परियोजना निदेशक।



चित्र सं०–8.1.3 जन–सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित रैयतगण।

अध्ययन दल के शोध पदाधिकारी द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन के कार्यकारी सारांश का वाचन किया गया, जिसको बैठक में उपस्थित स्थानीय जन समुदाय ने गंभीरता से ग्रहण किया। तत्पश्चात् अध्ययन परियोजना निदेशक, डॉ० अवधेश कुमार द्वारा प्रस्तुति की तथ्यात्मक यर्थाथता पर उपस्थित जन–समुदाय से सहमति/असहमति मांगी गयी और उनके सुझाव भी आमंत्रित किये गये।

सुझाव के तौर पर परियोजना से प्रत्यक्ष प्रभावित कुछ रैयतों के द्वारा विरोध किया गया जबकि अधिकांश रैयतों तथा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि कुछ रैयती भूमि को बचाते हुए परियोजना निर्माण पूर्ण किया जा सकता है बशर्ते बाजार दर पर मुआवजा दिया जाए। जन–सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों का सुझाव इस प्रकार है:–

- **श्री प्रमोद झा–** परियोजना से प्रभावित रैयत का कहना है कि करीब 10 एकड़ भूमि पर कलमबाग लगा हुआ है जिसको भविष्य में आय के लिए रखा हुआ है। यदि अधिग्रहण के अंतर्गत प्रभावित होता है तो आर्थिक हानि के साथ–साथ भूमिहीन भी होने की संभावना है। अतः परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
- **श्री अशर्फी कामत**–रैयत के अनुसार मेरे कुल जोत का भूमि परियोजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत होने वाला है। फलतः परिवार के भरण–पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रभावित होने वाली भूमि काफी उपजाउ है जिससे परिवार का भरण–पोषण होता है। इसलिए परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
- **श्री लक्ष्मीकांत**–प्रभावित रैयत का कहना है कि परियोजना निर्माण होने से भूमिहीन हो जाएंगे। यह भूमि आवासीय/व्यवसायिक तथा उपजाउ कृषि भूमि है। अगर बाजार दर से मुआवजा मिलेगा तो परियोजना हेतु भूमि देने में विचार किया जा सकता है।
- **श्री माधेश्वर झा**–प्रभावित रैयत ने प्रस्ताव दिया कि मधुबनी जिलान्तर्गत पूर्व से बंद पड़ा उद्योग सकरी, झंझारपुर, पंडौल एवं मधुबनी को चालु किया जाए। अगर इसके अलावे नये उद्योग की स्थापना हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी तो हमलोग भूमि देने के लिए तैयार हैं। वर्तमान परियोजना हेतु भूमि देने में असमर्थ हैं।
- **श्री प्रदीप कुमार ठाकुर**–प्रभावित रैयत के अनुसार परियोजना निर्माण होने से क्षेत्र तथा राज्य का विकास होगा। परियोजना निर्माण हेतु भूमि देने के लिए तैयार हैं।
- **विवेक कुमार मिश्रा**–अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा बताया गया कि स्थानीय पलायन को रोकने तथा रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए यह परियोजना आवश्यक है। रैयतों के मांगो को ध्यान में रखा जाएगा। भूमिहीन परिवारों को नियमानुसार उचित सहायता किया जाएगा।

- **सुश्री श्वेता मिश्रा**–झंझारपुर राजस्व अधिकारी के द्वारा बताया गया कि परियोजना से संबंधित सभी प्रभावित परिवारों को कागजी प्रकिया में पूर्ण सहयोग किया जाएगा तथा उचित मुआवजा हेतु उपर के पदाधिकारी से बात किया जाएगा।

हितबद्ध रैयतों एवम् प्रतिभागियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं उनकी आशंकाओं के समाधान पर विस्तृत जानकारी अध्ययन दल से परियोजना निदेशक एवं अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के द्वारा दी गयी, जिससे उन्हें संतुष्टि हुई।

डॉ० अवधेश कुमार, परियोजना निदेशक, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई। अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं कार्यालय कर्मी के प्रति अध्ययन दल द्वारा विशेष आभार प्रकट किया गया जिनका सहयोग अध्ययन से जुड़े क्षेत्र कार्य से लेकर लोक सुनवाई कार्यक्रम आयोजन तक भरपूर मिला।

बैठक की विडियोग्राफी करायी गयी, जिसका डी०भी०डी० प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना में परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक रैयती भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर आधारित तथ्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधिग्रहण के अन्तर्गत जाने वाली भूमि कृषि उपयोग में रही है। इस भूमि से प्राथमिक रूप से जुड़े लोगों में स्थानीय किसान हैं। कुछ प्रभावित रैयतों ने इस परियोजना के संरेखन पर आपति भी की है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रभावित परिवार नहीं पाया गया है जो विस्थापित हो रहा है। इस परियोजना क्रियान्वयन में कुछ रैयतों को छोड़कर स्थानीय समुदाय एवं बाकी अन्य प्रत्यक्ष प्रभावित रैयतों की सहमति है। बशर्ते रैयतों के अनुसार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को रोजगार एवं मुआवजा का भुगतान बाजार दर से किया जाए।

अतः **"भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (RFCTLARR) अधिनियम 2013"** एवं **"बिहार भू–अर्जन, पुनर्वास और** पुनर्व्यवस्थापन में **उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (BRFCTLARR) नियम 2014"** के अन्तर्गत रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक रैयती भूमि का अधिग्रहण कर व्यापक लोकहित में परियोजना क्रियान्वयन को पूर्ण किया जा सकता है।

केन्द्रियकृत समुह परिचर्चा

परियोजना– मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिकी केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना, थाना सं० 156 में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आँकलन अध्ययन।

अंचल–झंझारपुर मौजा–लोहना जिला–मधुबनी

स्थान– परियोजना स्थल लालगंज उपस्थिति पंजी दिनांक– 12.07.25

क्र० सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	उमर अली रामानुज कांचाल	8709686768	उमर अली
2	देवेश झा	7761950547	देवेश झा
3	जीवन झा	8809252775	जीवन झा
4	अशर्फी कामति	9934981166	अशर्फी कामति
5	ललन चौधरी	8809137295	ललन चौधरी
(6)	शिवलाल साहु	9117.53.96.82	शिवलाल साहु
7	ठकाई साहु	9955039245	ठकाई साहु
8	प्रमोद झा	7761916582	प्रमोद झा
9	वरुण कुमार कामति	9572363464	वरुण कुमार कामति
10	[illegible] कामत	6639269245	[illegible] कामत
11	बीरेन मुखिया	9709775075	बीरेन मुखिया
12	माधवेश्वर झा	9709537510	माधवेश्वर झा
13	देवनारायण साहु	8447330451	देवनारायण साहु
14	आशीष ठाकुर	9661733473	आशीष ठाकुर
15	संतोष ठाकुर	7258832746	संतोष ठाकुर
16	इन्द्रनाथ ठाकुर	9934554114	Indranath Thakur
17	अनिल कुमार ठाकुर	7544027209	Anil Kumar Thakur

केन्द्रियकृत समूह परिचर्चा में शामिल प्रतिभागीयों की उपस्थिति पंजी।

केन्द्रियकृत समूह परिचर्चा

परियोजना– मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिकी केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना, थाना सं० 156 में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आँकलन अध्ययन।

अंचल–झंझारपुर मौजा–लोहना जिला–मधुबनी

स्थान– लोहना देवी स्थान उपस्थिति पंजी दिनांक– 14.07.25

क्र० सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1.	Atul kumar Mishra	6202029191	Atul
2.	विनय झा	8757342764	विनय झा
3.	संजीव कुमार झा	8757342764	संजीव कुमार झा
4.	राजीव कुमार झा	9709466455	Rajeev Kumar Jha
5.	Prakash Jha	7808515232	Prakash Jha
6.	Hemkant Jha	8051805227	Hemkant Jha
7.	Upendra Chaudhary	8873518884	Upendra Chaudhary
8.	अशोक राय	8406897314	Ashok Rai
9.	SANTIT RAI	SANTIT RAI 6299553214	Rai
10.	आशा	7827847449	Asha
11.	Deb Narayan Kamati	8939434631	Deb Narayan Kamati
12.	अशफी कामति	7970371092	अशफी कामति
13.	योगेन्द्र नाथ ठाकुर	9199087670	योगेन्द्र नाथ ठाकुर
14.	दिलीप चौधरी	9931909447	दिलीप चौधरी
15.	दिलीप चौधरी	9931909447	दिलीप चौधरी
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	देवानन्द झा	9709465497	देवानन्द झा

केन्द्रियकृत समूह परिचर्चा में शामिल प्रतिभागीयों की उपस्थिति पंजी।

केन्द्रियकृत समुह परिचर्चा

परियोजना– मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिकी केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना, थाना सं० 156 में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आँकलन अध्ययन।

अंचल–झंझारपुर　　मौजा–लोहना　　जिला–मधुबनी

स्थान–　　उपस्थिति पंजी　　दिनांक– 14.07.25

क्र० सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
18.	अशोक-कुमार-कामति	9523329682 8210620680	अशोक-कुमार-कामति
19.	सोनई कामत	8002060453	सोनई कामत
20.	सीताराम मुरिया	7281936330	सीताराम मुरिया
21.	Digambar Kamat	9934251888	Digambar Kamat
22.	Chandelal yadav	6204450643	Chandelal yadav
23.	रघु रघु यादव	7645030260	रघु रघु यादव
24.	भागे यादव	9082777512	भागे यादव
25.	राम प्रसाद यादव	7367812732	राम प्रसाद यादव
26.	संतोष यादव	8051521690	संतोष यादव
27.	बासे यादव	8051521696 9555604958	बासे यादव
28.			
29.	कामेश्वर यादव	9534982552	कामेश्वर यादव

केन्द्रियकृत समूह परिचर्चा में शामिल प्रतिभागीयों की उपस्थिति पंजी।

केन्द्रियकृत समुह परिचर्चा

परियोजना– मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिकी केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा–लोहना, थाना सं० 156 में भूमि अधिग्रहण का सामाजिक प्रभाव आँकलन अध्ययन।

अंचल–झंझारपुर मौजा–लोहना जिला–मधुबनी

स्थान– पंचायत भवन लोहना उपस्थिति पंजी दिनांक– 16.07.25

क्र० सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	शिवलाल साहु	9117539682	शिवलाल साहु
2.	निशुन कुमार	8051334854	निशुन कुमार
3.	जिसुन कुमार कामति	9162048997	जिसुन कुमार कामति
4.	राकेश कुमार	8882123778	राकेश कुमार
5.	टकाई साहु	9955039248	टकाई साहु
6.	संदीप कुमार साहु	8369128757	संदीप कुमार साहु
7.	हरि नारायण मिश्र	7070966492	हरिनारायण मिश्र
8.	प्रतोष कुमार	9117261595	Pratosh kumar
9.	सुनिल कामति	7617008936	Pratosh kumar
	शेखर कुमार राय	9973032921	Shekhar kumar Ray
	श्याम सुन्दर कामति	7762996854	श्याम सुन्दर कामति
	प्रकाश कुमार	9534504532	प्रकाश कुमार
	अरुण कुमार	6287539951	अरुण कुमार
	शोधन कामत	7617008936	द्वारा अभिलाष कुमार
	युगल कामती	9199846965	द्वारा निशुन कुमार
	किशोरी कामत	9820360805	[illegible]
	कृपानाथ मिश्र	9430837031	कृपानाथ मिश्र

केन्द्रियकृत समूह परिचर्चा में शामिल प्रतिभागीयों की उपस्थिति पंजी।

(190)

ड्राफ्ट रिपोर्ट पर आधारित जन–सुनवाई

परियोजना– मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना में भू–अर्जन के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन।

मौजा–लोहना | अंचल–झंझारपुर | जिला–मधुबनी

स्थान–पंचायत सरकार भवन लोहना | उपस्थिति पंजी | दिनांक–18.09.2025

क्र० सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	उमर भवेता मिश्रा राजस्व अधिकारी	9899737024	18/09/25
2	उमर अली- राजस्व कर्मचारी	8709686768	उमर अली
3	अमित मंडल	9661174630	[illegible]
4	माधवेश्वर झा	9709537610	माधवेश्वर झा
5	[illegible] कुमार झा	7808738399	
6	राम हृदय सहाय	9534674021	
7	[illegible] कामत	9930223245	[illegible]
8	भागीरथ कामत	9709716860	
6	कमलनारायण झा		
7	अशोक-कुमार-कामति		
8.	बोधनाथ मिश्र	9801710550	[illegible]
9.	मिश्री लाल साहू		
10.	पृथ्वीपति कामति		पृथ्वीपति कामति
11	Barun kr Kamti	9522363764	Barun kr
	[illegible]		
12	Vivek Kumar Mishra	7739046130	18.09.25
13	राजीव रंजन	9162559084	18/09/25

जन–सुनवाई कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागीयों की उपस्थिति पंजी।

(१९१)

ड्राफ्ट रिपोर्ट पर आधारित जन–सुनवाई

परियोजना– मधुबनी जिलान्तर्गत औद्योगिक केन्द्र स्थापना हेतु झंझारपुर अंचल के मौजा लोहना में भू–अर्जन के लिए सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन।

मौजा–लोहना | अंचल–झंझारपुर | जिला–मधुबनी

स्थान–पंचायत सरकार भवन लोहना | उपस्थिति पंजी | दिनांक–18.09.2025

क्र० सं०	नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
14	अशोक कामति	9934981166	अशोक कामति
15	प्रमोद झा (वीडियो ग्राफी)	7761916582	प्रमोद झा
16	सुकुमार झा	9334147727	सुकुमार झा
17	विपिन कुमार यादव	9525345520	
18	सुरेश झा		सुरेश झा
19	देवेश झा		देवेश झा
20	हरि मुरलि झा		हरि मुरलि झा
21	मारीच यादव		मारीच यादव
22	रामप्रसाद मुखिया	9934729206	रामप्रसाद
23	सुबोध कुमार मंडल	9572981671	Subodh Mandal
24	मोहन कामति		

जन–सुनवाई कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागीयों की उपस्थिति पंजी।

संदर्भ सूची

1. बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2014"। बिहार विशेष गजट, नं० पटना 887, अक्टूबर 28, 2014

2. "पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, भारत सरकार।

3. भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी द्वारा अधियाची से संदर्भित प्राप्त दस्तावेज।

4. भारत की जनगणना, 2011। कुलसचिव कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार।

5. http://www.bhumijankari.gov.in/Admin/MVR/MVRView.aspx

6. www-censusindia-gov-in@2011census

अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान

पटना–800001

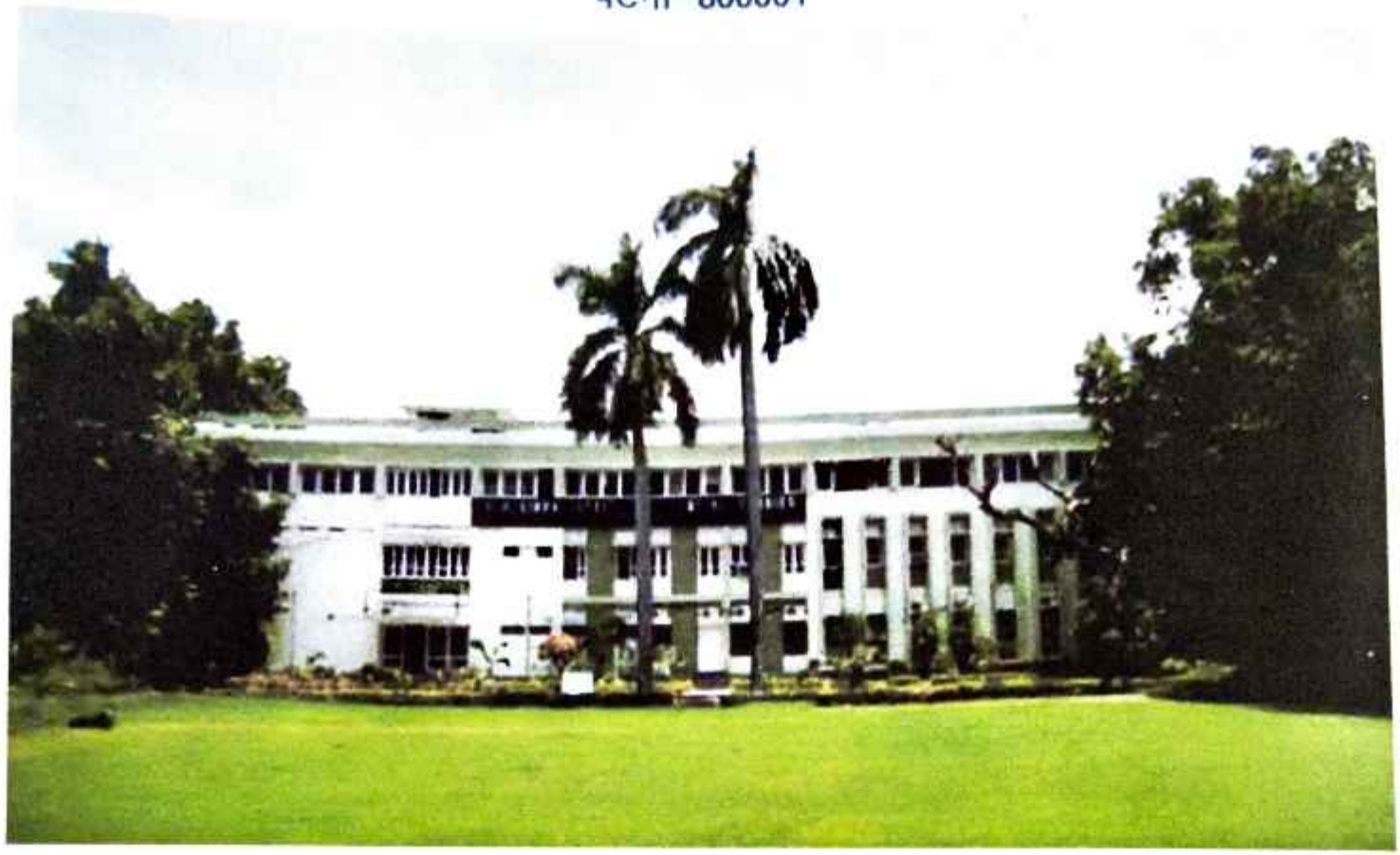

सा विद्या या विमुक्तये

A. N. Sinha Institute of Social Studies

North-West Gandhi Maidan, Patna-800001
Telephone: +91-612-2219395, Fax: +91-612-2219226
Email: ansiss1964@gmail.com, Website: www.ansiss.res.in